# बिहार सरकार,
## कृषि विभाग।

पत्र संख्या– 27/DoH/CS/15/2026 – पी०पी०एम० - 88 - /कृ०, पटना, दिनांक-17.09 ,2026

प्रेषक,

**कल्पना कुमारी,**
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवामें,

**महालेखाकार, बिहार,**
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

**विषय :** **केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत "एकीकृत बागवानी विकास मिशन" के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 से 2027–28 तक कुल दो वर्षो हेतु कुल 7834.22040 लाख (अठहत्तर करोड़ चौतीस लाख बाईस हजार चालीस) रूपये मात्र की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं इसके अधीन वित्तीय वर्ष 2026–27 में 6866.22040 लाख (अड़सठ करोड़ छियासठ लाख बाईस हजार चालीस) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत "एकीकृत बागवानी विकास मिशन" के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 से 2027–28 तक कुल दो वर्षो हेतु कुल 7834.22040 लाख (अठहत्तर करोड़ चौतीस लाख बाईस हजार चालीस) रूपये मात्र की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं इसके अधीन वित्तीय वर्ष 2026–27 में 6866.22040 लाख (अड़सठ करोड़ छियासठ लाख बाईस हजार चालीस) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में बागवानी फसलों (फल, फूल, सुगंधित पौधे, मशरूम, आदि) की उत्पादकता एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से एम.आई.डी.एच. (एकीकृत बागवानी विकास मिशन) योजनान्तर्गत गुणवत्तापूर्ण पौध रोपण सामग्री की उपलब्धता, फलों के क्षेत्र विस्तार, सुगंधित पौधे, मशरूम, बागो के जीर्णोद्धार, सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना, मूल्यवर्धन हेतु फसलोत्तर प्रबंधन, कृषकों के लिए आधारभूत संरचना का विकास तथा कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण आदि कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाएगा तथा फसल विविधिकरण अन्तर्गत बागवानी फसलों की खेती से कृषकों की आय में वृद्धि होगी।
3. योजना का भौतिक आकार **अनुसूची–1** अनुरूप कुल 7834.22040 लाख (अठहत्तर करोड़ चौतीस लाख बाईस हजार चालीस) रूपये है। योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2026–27 एवं 2027–28 में किया जायेगा।
4. चतुर्थ कृषि रोड मैप में सन्निहित कार्यक्रमों/अवयवों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शिका के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2026–27 में "एकीकृत बागवानी विकास मिशन" की कार्य योजना तैयार की गई है जो State Level Sanctioning Committee (SLSC) से दिनांक 27.02.2026 को 18386.00 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई है। उक्त स्वीकृति के विरूद्ध भारत सरकार के पत्र संख्या–F.No. M-14024/18/2025-MIDH दिनांक–10.07.2026 द्वारा कुल 10350.00 लाख रूपये अनुमोदित है। भारत सरकार के पत्र संख्या– F.No.16 (BR 114) दिनांक–23.04.2026 द्वारा MIDH योजना अंतर्गत केन्द्रांश मद में प्रथम किस्त के रूप में कुल 3105.00 लाख रूपये की राशि विमुक्त की गई है।
5. इस योजना का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलों में कराया जाएगा। इस योजना का विस्तृत विवरणी अनुसूची–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एवं 16 के रूप में संलग्न है।

6. इस योजना अंतर्गत अवयववार घटक निम्नवत् है :–

i) **फलों के क्षेत्र विस्तार की योजना :**

(क) **टिश्यू कल्चर केला (समेकित) का क्षेत्र विस्तार–** टिश्यू कल्चर केला के क्षेत्र विस्तार हेतु टिश्यू कल्चर केला की मालभोग, चिनिया एवं जी–9 प्रभेद, किसानों को उपलब्ध कराया जायेगा। इस योजना अंतर्गत टिश्यू कल्चर केला (समेकित) के क्षेत्र विस्तार हेतु MIDH की मार्गदर्शिका के सदृश्य 1.75 लाख (एक लाख पचहत्तर हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर इकाई लागत है। टिश्यू कल्चर केला की खेती हेतु 1.8x1.8 मीटर पौधो से पौधो की दूरी अनुसार प्रति हेक्टेयर 3086 पौधा की आवश्यकता है।

उपरोक्त इकाई लागत 1,75,000.00 (एक लाख पचहत्तर हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर पर भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार 40% अनुदान अर्थात् 70,000.00 (सत्तर हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर, दो किस्तों में दिया जायेगा। प्रथम किस्त के रूप में कुल अनुदान राशि का 60% अर्थात 42,000.00 (बयालीस हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर एवं द्वितीय किस्त में अनुदान का शेष 40% अर्थात् 28,000.00 (अट्ठाईस हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर दिया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2026–27 में अनुदान की प्रथम किस्त की राशि किसानों को पौध रोपण उपरांत, प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी के क्षेत्र सत्यापन के पश्चात्, संतुष्ट होने पर जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार किया जायेगा एवं द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान 80% पौधों की उत्तरजीविता पाये जाने पर, संबंधित प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के क्षेत्र सत्यापन पश्चात् संतुष्ट होने पर जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2027–28 में किया जायेगा। उक्त घटक का क्रियान्वयन क्लस्टर में किया जाएगा एवं प्रति ग्राम पंचायत अधिकतम 25 हे० को एक क्लस्टर माना जाएगा।

(ख) **आम का क्षेत्र विस्तार–** इस घटक अंतर्गत आम के क्षेत्र विस्तार हेतु MIDH की मार्गदर्शिका के सदृश्य 2.00 लाख (दो लाख) रूपये प्रति हेक्टेयर इकाई लागत है। आम की खेती हेतु 5x5 मीटर पौधो से पौधो की दूरी अनुसार प्रति हेक्टेयर 400 पौधा की आवश्यकता है।

उपरोक्त इकाई लागत 2.00 लाख (दो लाख) रूपये प्रति हेक्टेयर पर भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार 40% अनुदान अर्थात 0.80 लाख (अस्सी हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर, दो किस्तों में दिया जायेगा। प्रथम किस्त के रूप में कुल अनुदान राशि का 60% अर्थात 0.48 लाख (अड़तालीस हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर, द्वितीय किस्त में अनुदान का 40% अर्थात् 0.32 लाख (बत्तीस हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर दिया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2026–27 में अनुदान की प्रथम किस्त की राशि चयनित किसानों को पौध रोपण उपरांत, प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी के क्षेत्र सत्यापन के पश्चात्, संतुष्ट होने पर जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार किया जायेगा एवं द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान 80% पौधों की उत्तरजीविता पाये जाने पर, संबंधित प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के क्षेत्र सत्यापन पश्चात् संतुष्ट होने पर जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2027–28 में किया जायेगा। उक्त घटक का क्रियान्वयन क्लस्टर में किया जाएगा एवं प्रति ग्राम पंचायत अधिकतम 25 हे० को एक क्लस्टर माना जाएगा।

(ग) **लीची का क्षेत्र विस्तार–** इस घटक अंतर्गत लीची के क्षेत्र विस्तार हेतु MIDH की मार्गदर्शिका के सदृश्य 2.00 लाख (दो लाख) रूपये प्रति हेक्टेयर इकाई लागत है। लीची की खेती हेतु 4.5x4.5 मीटर पौधो से पौधो की दूरी अनुसार प्रति हेक्टेयर 494 पौधा की आवश्यकता है।

उपरोक्त इकाई लागत 2.00 लाख (दो लाख) रूपये प्रति हेक्टेयर पर भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार 40% अनुदान अर्थात 0.80 लाख (अस्सी हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर, दो किस्तों में दिया जायेगा। प्रथम किस्त के रूप में कुल अनुदान राशि का 60% अर्थात 0.48 (अड़तालीस हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर, द्वितीय किस्त में अनुदान का 40% अर्थात् 0.32 (बत्तीस हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर दिया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2026–27 में अनुदान की प्रथम किस्त की राशि चयनित किसानों को पौध रोपण उपरांत प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी के क्षेत्र सत्यापन के पश्चात्, संतुष्ट होने पर जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार किया जायेगा एवं द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान 80% पौधों की उत्तरजीविता पाये जाने पर, संबंधित प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के क्षेत्र सत्यापन पश्चात् संतुष्ट होने पर जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष

2027–28 में किया जायेगा। उक्त घटक का क्रियान्वयन क्लस्टर में किया जाएगा एवं प्रति ग्राम पंचायत अधिकतम 25 हे० को एक क्लस्टर माना जाएगा।

(घ) **पपीता का क्षेत्र विस्तार–** इस घटक अंतर्गत पपीता के क्षेत्र विस्तार हेतु MIDH की मार्गदर्शिका के सदृश्य 0.75 लाख (पचहत्तर हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर इकाई लागत है। पपीता की खेती हेतु 2x2 मीटर पौधो से पौधो की दूरी अनुसार प्रति हेक्टेयर 2500 पौधा की आवश्यकता है।

उपरोक्त इकाई लागत 0.75 लाख (पचहत्तर हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर पर भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार 40% अनुदान अर्थात 0.30 लाख (तीस हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर, दो किस्तों में दिया जायेगा। प्रथम किस्त के रूप में कुल अनुदान राशि का 60% अर्थात 0.18 लाख (अठारह हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर, द्वितीय किस्त में अनुदान का 40% अर्थात् 0.12 (बारह हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर दिया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2026–27 में अनुदान की प्रथम किस्त की राशि चयनित किसानों को पौध रोपण उपरांत प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी के क्षेत्र सत्यापन के पश्चात्, संतुष्ट होने पर जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार किया जायेगा एवं द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान 80% पौधों की उत्तरजीविता पाये जाने पर, संबंधित प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के क्षेत्र सत्यापन पश्चात् संतुष्ट होने पर जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2027–28 में किया जायेगा। उक्त घटक का क्रियान्वयन क्लस्टर में किया जाएगा एवं प्रति ग्राम पंचायत अधिकतम 25 हे० को एक क्लस्टर माना जाएगा।

(ङ) **ड्रैगन फ्रूट का क्षेत्र विस्तार–** इस घटक अंतर्गत ड्रैगन फ्रूट के क्षेत्र विस्तार हेतु MIDH की मार्गदर्शिका के सदृश्य 6.75 लाख (छः लाख पचहत्तर हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर इकाई लागत है। ड्रैगन फ्रूट की खेती हेतु 2x2 मीटर पौधो से पौधो की दूरी अनुसार प्रति हेक्टेयर 5000 पौधा की आवश्यकता है।

उपरोक्त इकाई लागत 6.75 लाख (छः लाख पचहत्तर हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर पर भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार 40% अनुदान अर्थात 2.70 लाख (दो लाख सत्तर हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर, दो किस्तों में दिया जायेगा। प्रथम किस्त के रूप में कुल अनुदान राशि का 60% अर्थात 1.62 लाख (एक लाख बासठ हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर, द्वितीय किस्त में अनुदान का 40% अर्थात् 1.08 (एक लाख आठ हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर दिया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2026–27 में अनुदान की प्रथम किस्त की राशि चयनित किसानों को पौध रोपण उपरांत, प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी के क्षेत्र सत्यापन के पश्चात् संतुष्ट होने पर जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार किया जायेगा एवं द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान 80% पौधों की उत्तरजीविता पाये जाने पर, संबंधित प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के क्षेत्र सत्यापन पश्चात्, संतुष्ट होने पर जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2027–28 में किया जायेगा। उक्त घटक का क्रियान्वयन क्लस्टर में किया जाएगा एवं प्रति ग्राम पंचायत अधिकतम 25 हे० को एक क्लस्टर माना जाएगा।

(च) **Citrus (किन्नू/निंबू) का क्षेत्र विस्तार–** इस घटक अंतर्गत किन्नू के क्षेत्र विस्तार हेतु MIDH की मार्गदर्शिका के सदृश्य 2.00 लाख (दो लाख) रूपये प्रति हेक्टेयर इकाई लागत है। किन्नू फल की खेती हेतु 3x3 मीटर पौधो से पौधो की दूरी अनुसार प्रति हेक्टेयर 1111 पौधा की आवश्यकता है।

उपरोक्त इकाई लागत 2.00 लाख (दो लाख) रूपये प्रति हेक्टेयर पर भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार 40% अनुदान अर्थात 0.80 लाख (अस्सी हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर, दो किस्तों में दिया जायेगा। प्रथम किस्त के रूप में कुल अनुदान राशि का 60% अर्थात 0.48 लाख (अड़तालीस हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर, द्वितीय किस्त में अनुदान का 40% अर्थात् 0.32 (बत्तीस हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर दिया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2026–27 में अनुदान की प्रथम किस्त की राशि चयनित किसानों को पौध रोपण उपरांत, प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी के क्षेत्र सत्यापन के पश्चात्, संतुष्ट होने पर जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार किया जायेगा एवं द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान 80% पौधों की उत्तरजीविता पाये जाने पर संबंधित प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के क्षेत्र सत्यापन पश्चात् संतुष्ट होने पर, जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2027–28 में किया जायेगा। उक्त घटक का क्रियान्वयन क्लस्टर में किया जाएगा एवं प्रति ग्राम पंचायत अधिकतम 25 हे० को एक क्लस्टर माना जाएगा।

(छ) **कटहल का क्षेत्र विस्तार–** इस घटक अंतर्गत कटहल के क्षेत्र विस्तार हेतु MIDH मार्गदर्शिका के सदृश्य 0.75 लाख (पचहत्तर हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर इकाई लागत है। कटहल फल की खेती हेतु 5x5 मीटर पौधो से पौधो की दूरी अनुसार प्रति हेक्टेयर 400 पौधा की आवश्यकता है।

उपरोक्त इकाई लागत 0.75 लाख (पचहत्तर हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर पर भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार 40% अनुदान अर्थात 0.30 लाख (तीस हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर, दो किस्तों में दिया जायेगा। प्रथम किस्त के रूप में कुल अनुदान राशि का 60% अर्थात 0.18 लाख (अठारह हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर, द्वितीय किस्त में अनुदान का 40% अर्थात 0.12 (बारह हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर दिया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2026–27 में अनुदान की प्रथम किस्त की राशि चयनित किसानों को पौध रोपण उपरांत, प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी के क्षेत्र सत्यापन के पश्चात् संतुष्ट होने पर जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार किया जायेगा एवं द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान 80% पौधों की उत्तरजीविता पाये जाने पर, संबंधित प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के क्षेत्र सत्यापन पश्चात्, संतुष्ट होने पर जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2027–28 में किया जायेगा। उक्त घटक का क्रियान्वयन क्लस्टर में किया जाएगा एवं प्रति ग्राम पंचायत अधिकतम 25 हे० को एक क्लस्टर माना जाएगा।

(ज) **अमरूद का क्षेत्र विस्तार–** इस घटक अंतर्गत अमरूद के क्षेत्र विस्तार हेतु MIDH की मार्गदर्शिका के सदृश्य 2.00 लाख (दो लाख) रूपये प्रति हेक्टेयर इकाई लागत है। अमरूद फल की खेती हेतु 3x3 मीटर पौधो से पौधो की दूरी अनुसार प्रति हेक्टेयर 1111 पौधा की आवश्यकता है।

उपरोक्त इकाई लागत 2.00 लाख (दो लाख) रूपये प्रति हेक्टेयर पर भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार 40% अनुदान अर्थात 0.80 लाख (अस्सी हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर, दो किस्तों में दिया जायेगा। प्रथम किस्त के रूप में कुल अनुदान राशि का 60% अर्थात 0.48 लाख (अड़तालीस हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर, द्वितीय किस्त में अनुदान का 40% अर्थात् 0.32 (बत्तीस हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर दिया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2026–27 में अनुदान की प्रथम किस्त की राशि चयनित किसानों को पौध रोपण उपरांत, प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी के क्षेत्र सत्यापन के पश्चात् संतुष्ट होने पर जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार किया जायेगा एवं द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान 80% पौधों की उत्तरजीविता पाये जाने पर, संबंधित प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के क्षेत्र सत्यापन पश्चात् संतुष्ट होने पर जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2027–28 में किया जायेगा। उक्त घटक का क्रियान्वयन क्लस्टर में किया जाएगा एवं प्रति ग्राम पंचायत अधिकतम 25 हे० को एक क्लस्टर माना जाएगा।

(झ) **शरीफा (Custard Apple) का क्षेत्र विस्तार–** इस घटक अंतर्गत शरीफा के क्षेत्र विस्तार हेतु MIDH की मार्गदर्शिका के सदृश्य 0.75 लाख (पचहत्तर हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर इकाई लागत है। शरीफा फल की खेती हेतु 2.5x2.5 मीटर पौधो से पौधो की दूरी अनुसार प्रति हेक्टेयर 1600 पौधा की आवश्यकता है।

उपरोक्त इकाई लागत 0.75 लाख (पचहत्तर हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर पर भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार 40% अनुदान अर्थात 0.30 लाख (तीस हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर, दो किस्तों में दिया जायेगा। प्रथम किस्त के रूप में कुल अनुदान राशि का 60% अर्थात 0.18 लाख (अठारह हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर, द्वितीय किस्त में अनुदान का 40% अर्थात् 0.12 (बारह हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर दिया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2026–27 में अनुदान की प्रथम किस्त की राशि चयनित किसानों को पौध रोपण उपरांत, प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी के क्षेत्र सत्यापन के पश्चात् संतुष्ट होने पर, जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार किया जायेगा एवं द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान 80% पौधों की उत्तरजीविता पाये जाने पर संबंधित प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के क्षेत्र सत्यापन पश्चात् संतुष्ट होने पर जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2027–28 में किया जायेगा। उक्त घटक का क्रियान्वयन क्लस्टर में किया जाएगा एवं प्रति ग्राम पंचायत अधिकतम 25 हे० को एक क्लस्टर माना जाएगा।

(ञ) **एप्पल बेर का क्षेत्र विस्तार–** इस घटक अंतर्गत एप्पल बेर के क्षेत्र विस्तार हेतु MIDH की मार्गदर्शिका के सदृश्य 0.75 लाख (पचहत्तर हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर इकाई लागत है। एप्पल

बेर फल की खेती हेतु 4x4 मीटर पौधो से पौधो की दूरी अनुसार प्रति हेक्टेयर 625 पौधा की आवश्यकता है।

उपरोक्त इकाई लागत 0.75 लाख (पचहत्तर हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर पर भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार 40% अनुदान अर्थात 0.30 लाख (तीस हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर दो किस्तों में दिया जायेगा। प्रथम किस्त के रूप में कुल अनुदान राशि का 60% अर्थात 0.18 लाख (अठारह हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर, द्वितीय किस्त में अनुदान का 40% अर्थात् 0.12 (बारह हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर दिया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2026–27 में अनुदान की प्रथम किस्त की राशि चयनित किसानों को पौध रोपण उपरांत, प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी के क्षेत्र सत्यापन के पश्चात् संतुष्ट होने पर जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार किया जायेगा एवं द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान 80% पौधों की उत्तरजीविता पाये जाने पर संबंधित प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के क्षेत्र सत्यापन पश्चात् संतुष्ट होने पर जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2027–28 में किया जायेगा। उक्त घटक का क्रियान्वयन क्लस्टर में किया जाएगा एवं प्रति ग्राम पंचायत अधिकतम 25 हे० को एक क्लस्टर माना जाएगा।

**सभी क्लस्टर जो 10 हे० या 25 हे० रकवा निर्धारित है, के गठन हेतु अधिकतम दो समीपवर्ती/सीमावर्ती ग्राम पंचायत का चयन कर सकते है। जिला अन्तर्गत 'कलस्टर' चयन हेतु 'जिला उद्यान पदाधिकारी' स्वतंत्र होंगें।**

फलों के क्षेत्र विस्तार की योजना से संबंधित विवरणी, अनुसूची– 2, 3 एवं 4 के रूप में संलग्न है।

ii) **वित्तीय वर्ष 2025–26 में संचालित केला, लीची, पपीता एवं आम का 1st Year Maintenance के भुगतान की कार्य योजना :** योजनान्तर्गत घटकवार विवरण निम्नवत है :–

**(क) टिश्यू कल्चर केला–** इस योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्वीकृत केला के क्षेत्र विस्तार की योजना का 1st Year Maintenance का भुगतान किया जायेगा, जिसके तहत् प्रथम वर्ष में लगाये गये बागों के 80% उत्तरजीविता पाये जाने पर द्वितीय किस्त यथा इकाई लागत 1.75 लाख (एक लाख पचहत्तर हजार) का 40% की राशि के तहत् यानि 0.70 लाख (सत्तर हजार) का 40% (0.28 लाख रू/हे0) दिये जाने का प्रावधान है।

**(ख) लीची–** इस योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्वीकृत लीची के क्षेत्र विस्तार की योजना का 1st Year Maintenance का भुगतान किया जायेगा, जिसके तहत् प्रथम वर्ष में लगाये गये बागों के 80% उत्तरजीविता पाये जाने पर द्वितीय किस्त यथा इकाई लागत 2.00 लाख (दो लाख) का 40% की राशि के तहत् यानि 0.80 लाख (अस्सी हजार) का 40% (0.32 लाख रू/हे0) दिये जाने का प्रावधान है।

**(ग) पपीता–** इस योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्वीकृत पपीता के क्षेत्र विस्तार की योजना का 1st Year Maintenance का भुगतान किया जायेगा, जिसके तहत् प्रथम वर्ष में लगाये गये बागों के 80% उत्तरजीविता पाये जाने पर द्वितीय किस्त यथा इकाई लागत 0.75 लाख (पचहत्तर हजार) का 40% की राशि के तहत् यानि 0.30 (तीस हजार) का 40% (0.12 लाख रू/हे0) दिये जाने का प्रावधान है।

**(घ) आम–** इस योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्वीकृत आम के क्षेत्र विस्तार की योजना का 1st Year Maintenance का भुगतान किया जायेगा, जिसके तहत् प्रथम वर्ष में लगाये गये बागों के 80% उत्तरजीविता पाये जाने पर द्वितीय किस्त इकाई लागत 2.00 लाख (दो लाख) का 40% की राशि के तहत् यानि 0.80 लाख (अस्सी हजार) का 40% (0.32 लाख रू/हे0) दिये जाने का प्रावधान है।

उक्त अवयव का कार्यान्वयन संलग्न अनुसूची–5 के आलोक में किया जायेगा।

iii) **औषधीय पौधे–** इस घटक अंतर्गत एलोवेरा, अश्वगंधा, ब्राह्मी एवं शतावरी पौध के क्षेत्र विस्तार हेतु MIDH की मार्गदर्शिका के सदृश्य 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर इकाई लागत है। एलोवेरा, अश्वगंधा एवं ब्राहमी पौध की खेती हेतु 5 हेक्टेयर प्रति रकबा/पंचायत/क्लस्टर एवं शतावरी पौध की खेती हेतु 4 हेक्टेयर प्रति रकबा/पंचायत/क्लस्टर चिन्हित किया जाना है।

उपरोक्त इकाई लागत 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार) रूपये प्रति हेक्टेय भारत सरकार के मार्गदर्शिका के अनुसार 40% अनुदान अर्थात 0.60 लाख (साठ हजार) रू प्रति हेक्टेयर का 60% अर्थात 0.36 लाख (छत्तीस हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर एकमुस्त दिय जायेगा। इसका कार्यान्वयन संलग्न अनुसूची–6 के आलोक में किया जायेगा।

iv) **मशरूम उत्पादन हेतु वातानुकूलित आधारभूत संरचना** : योजनान्तर्गत घटकवार विवरण निम्नवत है :–

**(क) मशरूम उत्पादन इकाई (निजी क्षेत्र)**– इस घटक अन्तर्गत निजी क्षेत्र में मशरूम उत्पादन इकाई के निर्माण हेतु सहायतानुदान दिया जायेगा। मशरूम उत्पादन इकाई का इकाई लागत 30.00 लाख रूपये है। जिसमें 40 प्रतिशत अर्थात् 12.00 लाख रूपये प्रति इकाई सहायतानुदान दिया जायेगा। अनुदान की राशि ऋण संबद्ध बैक एण्डेड अनुदान के रूप में कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा।

**(ख) मशरूम कम्पोस्ट इकाई (निजी क्षेत्र)**– इस घटक अन्तर्गत निजी क्षेत्र में मशरूम कम्पोस्ट इकाई के निर्माण हेतु सहायतानुदान दिया जायेगा। मशरूम कम्पोस्ट इकाई का इकाई लागत 30.00 लाख रूपये है। जिसमें 40 प्रतिशत अर्थात् 12.00 लाख रूपये प्रति इकाई सहायतानुदान दिया जायेगा। अनुदान की राशि ऋण संबद्ध बैक एण्डेड अनुदान के रूप में कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा।

**(ग) मशरूम स्पॉन निर्माण इकाई (निजी क्षेत्र)**– इस घटक अन्तर्गत निजी क्षेत्र में मशरूम स्पॉन निर्माण इकाई के निर्माण हेतु सहायतानुदान दिया जायेगा। मशरूम स्पॉन निर्माण इकाई का इकाई लागत 20.00 लाख रूपये है। जिसमें 40 प्रतिशत अर्थात् 8.00 लाख रूपये प्रति इकाई सहायतानुदान दिया जायेगा। अनुदान की राशि ऋण संबद्ध बैक एण्डेड अनुदान के रूप में कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा।

**(घ) कम लागत/छोटे पैमाने पर मशरूम उत्पादन इकाई**– MIDH के गाईड लाईन के अनुसार 2.00 लाख की लागत में 200 वर्गफीट में इस यूनिट का निर्माण किया जायेगा। जिसमें 50 प्रतिशत अर्थात्–1.00 लाख रूपये प्रति इकाई सहायतानुदान दिया जायेगा। ऐसे सभी निर्माण का तकनीकी पर्यवेक्षण एवं इसकी जाँच जिला के जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। इस योजनान्तर्गत एक मुश्त सहायतानुदान की राशि भुगतान किया जायेगा। उक्त इकाईयों के निर्माण में आधुनिक सौर–आधारित तकनीक से अस्थायी संरचनाओं में मशरूम उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा।

उक्त अवयव का कार्यान्वयन संलग्न अनुसूची–7 के आलोक में किया जायेगा।

v) **वृद्ध बागानों का कायाकल्प/प्रतिस्थापन, छत्र प्रबंधन** : योजनान्तर्गत घटकवार विवरण निम्नवत है :–

**(क) मृत/मर रहे/पुराने पौधों को हटाना** – इस घटक अंतर्गत मृत/मर रहे/पुराने पौधों को हटाने हेतु MIDH की मार्गदर्शिका के सदृश्य 0.10 लाख (दस हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर इकाई लागत है। उपरोक्त इकाई लागत 0.10 लाख (दस हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर पर भारत सरकार के मार्गदर्शिका के अनुसार 40% अनुदान अर्थात 0.04 लाख (चार हजार) रूपये अनुदान प्रति हेक्टेयर दिया जायेगा।

**(ख) नए पौधे के साथ उपरी कार्य एवं रिक्त स्थान भरना** – इस घटक अंतर्गत नए पौधे के साथ उपरी कार्य एवं रिक्त स्थान भरने हेतु MIDH की मार्गदर्शिका के सदृश्य 0.10 लाख (दस हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर इकाई लागत है। उपरोक्त इकाई लागत 0.10 लाख (दस हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर पर भारत सरकार के मार्गदर्शिका के अनुसार 40% अनुदान अर्थात 0.04 लाख (चार हजार) रूपये अनुदान प्रति हेक्टेयर दिया जायेगा।

**(ग) पोषक तत्व प्रबंधन, कीट प्रबंधन एवं सिंचाई क लिए आवश्यक लागत** – इस घटक अंतर्गत पोषक तत्व प्रबंधन, कीट प्रबंधन एवं सिंचाई क लिए आवश्यक लागत हेतु MIDH की मार्गदर्शिका के सदृश्य 0.40 लाख (चालीस हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर इकाई लागत है। उपरोक्त इकाई लागत 0.40 लाख (चालीस हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर पर भारत सरकार के

मार्गदर्शिका के अनुसार 40% अनुदान अर्थात 0.16 लाख (सोलह हजार) रूपये अनुदान प्रति हेक्टेयर दिया जायेगा।

उक्त अवयव का कार्यान्वयन संलग्न अनुसूची–8 के आलोक में किया जायेगा।

vi) **संरक्षित खेती : योजनान्तर्गत घटकवार विवरण निम्नवत है :–**

**(क) शेडनेट** : इस घटक अंतर्गत Shadenet हेतु MIDH की मार्गदर्शिका के सदृश्य इकाई लागत 710.00 रूपये प्रति वर्गमीटर पर 50% अनुदान पर 355.00 रूपये प्रति वर्गमीटर रैयत कृषकों को पौधा रोपण के पश्चात् एक मुश्त दिया जायेगा।

**(ख) प्लास्टिक मल्चिंग** : इस घटक अंतर्गत प्लास्टिक मलचिंग हेतु MIDH की मार्गदर्शिका के सदृश्य 0.40 लाख (चालीस हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर इकाई लागत है। उपरोक्त इकाई लागत 0.40 लाख (चालीस हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर पर भारत सरकार के मार्गदर्शिका के अनुसार 50% अनुदान अर्थात 0.20 लाख (बीस हजार) रूपये अनुदान प्रति हेक्टेयर एक मुश्त दिया जायेगा।

उक्त योजना का कार्यान्वयन संलग्न अनुसूची–9 के आलोक में किया जायेगा।

vii) **बागवानी फसलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना** : इसकी स्थापना आधुनिक खेती तकनीकों, अनुसंधान एवं किसानों को प्रशिक्षण देने हेतु स्थापित किया जाना है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन अन्तर्गत कुल 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जायेगी, जिसका कार्यान्वयन संलग्न अनुसूची–10 के आलोक में किया जायेगा। वर्तमान वर्ष में CoE, ToP, बक्सर के कार्य प्रारंभ की संभावना है।

viii) **अग्रपंक्ति प्रत्यक्षण** : इस कार्यक्रम हेतु एकीकृत बागवानी विकास मिशन की मार्गदर्शिका के सदृश्य, 25.00 लाख (पच्चीस लाख) रूपये प्रति यूनिट इकाई लागत है। उपरोक्त इकाई लागत 25.00 लाख (पच्चीस लाख) रूपये प्रति हेक्टेयर पर भारत सरकार के मार्गदर्शिका के अनुसार 75% अनुदान अर्थात 18.75 लाख (अठारह लाख पचहत्तर हजार) रूपये अनुदान प्रति यूनिट दिया जायेगा। इसका कार्यान्वयन संलग्न अनुसूची–11 के आलोक में किया जायेगा।

ix) **मानव संसाधन विकास अंतर्गत प्रशिक्षण एवं परिभ्रमण**– इस कार्यक्रम हेतु एकीकृत बागवानी विकास मिशन की मार्गदर्शिका के सदृश्य, परियोजना आधारित है, जिसपर शत् प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। इसमें कृषकों का प्रशिक्षण एवं परिभ्रमण कराया जाएगा। इस अवयव का कार्यान्वयन उद्यान् निदेशालय (मुख्यालय), बिहार, पटना के द्वारा किया जायेगा। इसका कार्यान्वयन संलग्न अनुसूची–12 के आलोक में किया जायेगा।

x) **फसलोपरांत प्रबंधन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन**: फसलोपरांत प्रबंधन कार्यक्रमों के तहत् पैक हाउस, मोबाईल प्री कूलिंग यूनिट, कोल्ड स्टोरेज इकाई टाईप–1 एवं टाईप–2, रेफ्रिजरेटेड ट्रांस्पोर्ट व्हेकिल एवं Solar Crop Dryer स्वीकृत है। इसका कार्यान्वयन संलग्न अनुसूची–13 के आलोक में किया जायेगा।

xi) **मिशन प्रबंधन : योजनान्तर्गत अवयववार विवरण निम्नवत है :–**

**(क) राज्य एवं जिला मिशन कार्यालय हेतु प्रशासनिक खर्च** – राज्य एवं जिला कार्यालयों के विभिन्न क्रिया–कलापों के प्रबंधन के लिए प्रशासनिक व्यय, परियोजना की तैयारी, कंप्यूटरीकरण और आकस्मिकता इत्यादि के लिए वार्षिक व्यय का 2.5 प्रतिशत राशि का प्रावधान वार्षिक कार्य योजना में किया गया है।

**(ख) कम्पयूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर की खरीद एवं संस्थागत सुद्धढ़ीकरण के व्यय से संबंधित (Other Components)** – इस घटक अन्तर्गत मुख्यालय एवं जिलास्तरीय कार्यालयों हेतु आवश्यक सॉफ्टवेयर का विकास एवं क्रय डिजिटल अवसंरचनाओं के खरीद एवं सुदृढ़ीकरण हेतु व्यय स्वीकृत है।

**(ग) अंतरराष्ट्रीय स्तरीय सेमिनार/कार्यशाला/ प्रदर्शनी** – यह कार्यक्रम परियोजना आधारित है, जिसके तहत् कृषकों को राज्य के बाहर अवस्थित बागवानी से संबंधित सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में सात दिवसीय (यात्रा अवधि सहित) परिभ्रमण किया जायेगा।

उक्त कार्यक्रम हेतु कृषक का चयन जिला के जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा, जो DBT पोर्टल पर पंजीकृत हो एवं जिन्हें पूर्व के पाँच वर्षों में किसी योजना के तहत् राज्य से बाहर नहीं भेजा गया हों। कृषकों के चयन उपरांत इसका अनुमोदन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर से लिया जायेगा।

**(घ) राष्ट्रीय स्तरीय सेमिनार/कार्यशाला/ प्रदर्शनी** – इस कार्यक्रम हेतु एकीकृत बागवानी विकास मिशन की मार्गदर्शिका के सदृश्य 5.00 लाख (पाँच लाख) रूपये प्रति सेमिनार/कर्मशाला/प्रदर्शनी इकाई लागत निर्धारित है, जिसपर शत् प्रतिशत अनुदान है।

**(ङ) राज्य स्तरीय सेमिनार/कार्यशाला/ प्रदर्शनी** – इस कार्यक्रम हेतु एकीकृत बागवानी विकास मिशन की मार्गदर्शिका के सदृश्य 3.00 लाख (तीन लाख) रूपये प्रति सेमिनार/कर्मशाला/प्रदर्शनी इकाई लागत निर्धारित है, जिसपर शत् प्रतिशत अनुदान है।

**(च) प्रचार सामग्री** – इस कार्यक्रम हेतु एकीकृत बागवानी विकास मिशन की मार्गदर्शिका के सदृश्य 1.00 लाख (एक लाख) रूपये प्रति जिला इकाई लागत निर्धारित है, जिसपर शत् प्रतिशत अनुदान है।

**(छ) राज्य स्तर पर विशेषज्ञों को रखने के लिए परियोजना निगरानी इकाई (TSG)**– यह कार्यक्रम परियोजना आधारित है, जिसपर शत् प्रतिशत अनुदान अधिकतम 50.00 (पचास लाख) रूपये व्यय किया जायेगा।

उक्त अवयव का कार्यान्वयन संलग्न अनुसूची–14 के आलोक में किया जायेगा।

7. योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शिका के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026–27 में संसूचित बजट उपबंध के अधीन किया जायेगा।
8. इस योजना का लाभ लेने हेतु किसानों का DBT पोर्टल पर पंजीकरण आवश्यक होगा। योजना का लाभ लेने हेतु कृषकों का चयन **'पहले आओ पहले पाओ'** के आधार पर किया जायेगा।
9. योजना के तहत् ऑनलाईन आवेदन 'बिहार कृषि ऐप' के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा।
10. कृषकों को योजना का लाभ न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.1 हे०) तथा अधिकतम 5 एकड़ (2 हेक्टेयर) के लिए देय होगा।
11. रख–रखाव का कार्य, MIDH योजना अंतर्गत, भारत सरकार की मार्गदर्शिका के आलोक में किया जाएगा।
12. Indo-Israel MoU अंतर्गत स्थापित CoEs के जिर्णोद्धार एवं एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के पौध रोपण सामग्री की उपलब्धता ई–निविदा के माध्यम से Competitive Bidding से चयनित एजेंसियों के माध्यम से सुनिश्चित की जायेगी।
13. प्रावधानित बजट के आलोक में केन्द्रांश मद में सामान्य जाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए क्रमशः 82.67 प्रतिशत, 15.89 प्रतिशत एवं 1.44 प्रतिशत व्यय सुनिश्चित किया जायेगा। यह भी प्रयास किया जायेगा कि लाभुकों में 30 (तीस) प्रतिशत महिला कृषकों की भागीदारी हो।
14. भारत सरकार के द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में योजनान्तर्गत अनुदान का लाभ कृषकों/संबंधितों की इच्छा से DBT-IN-KINDS/DBT-IN-CASH के रूप में किसान/संबंधित को सीधे उनके बैंक खाता में SNA SPARSH के माध्यम से राशि की निकासी कर उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यान्वयन एजेंसी –सह– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना को ससमय उपलब्ध करायेंगे। साथ ही महालेखाकार के अंकेक्षण हेतु विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण–पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
15. योजनान्तर्गत आय–व्यय की लेखा संधारण में PFMS के EAT Module का उपयोग किया जायेगा।
16. इस योजना अन्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी अनुसूची–16 के अनुसार संबंधित जिला के जिला उद्यान पदाधिकारी/जिला उद्यान पदाधिकारी– सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा वित्त विभागीय पत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.1998 एवं पत्रांक–410 दिनांक–12.06.2025 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
17. राशि व्यय के पश्चात् उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश निर्गत की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हक०), बिहार, पटना एवं कृषि विभाग को निदेशक उद्यान, बिहार, पटना द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। महालेखाकार (लेखा एवं हक०), बिहार, पटना योजना के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

18. योजना कार्यान्वयन के संबंध में यथा आवश्यक संशोधन वित्तीय सीमा के अन्दर प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकता है।

19. योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी निदेशक उद्यान, उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना होंगे। निदेशक उद्यान समय–समय पर योजना के कार्यान्वयन तथा प्रगति की समीक्षा स्वयं करेंगे।

20. वित्तीय वर्ष 2026–27 में बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है:–

(राशि लाख रू0 में)

| बजट शीर्ष | उपबंधित राशि | स्वीकृत राशि |
|---|---|---|
| केन्द्रांश | | |
| मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 119– बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग संख्या 01, उपशीर्ष 0224–राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नति योजना), विपत्र कोड 01–2401001190224, पी०एफ०एम०एस० कोड–4138, विषय शीर्ष 0224–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन। | 8559.45 | 5676.30440 |
| मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या 01, उपशीर्ष 0235–राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नति योजना), विपत्र कोड 01–2401007890235, पी.एफ.एम.एस. कोड–9120, विषय शीर्ष 0235–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन। | 1656.00 | 1091.04242 |
| मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 796– जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या 01, उपशीर्ष 0257–राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नति योजना), विपत्र कोड 01–2401007960257, पी०एफ०एम० एस० कोड– 4138, विषय शीर्ष 0257–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन। | 134.55 | 98.87358 |
| योग | **10350.00** | **6866.22040** |

21. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888/वि0 दिनांक–03.12.2024 तथा पत्रांक–201/वि0 दिनांक–13.03.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना प्रस्ताव लोक वित्त समिति से दिनांक–19.08.2026 को अनुशंसित है। योजना के कार्यान्वयन हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति मद सं0–03 के रूप में संचिका संख्या–27/DoH/CS/15/2026 के पृ0सं0–87/टि0 पर दिनांक–15.09.2026 को प्राप्त है।

22. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि० (2) दिनांक–05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

23. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– 27/DoH/CS/15/2026 के पृष्ठ संख्या–90/टि० दिनांक–16.09.2026 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या–639 दिनांक–16.09.2026 है।

**बिहार राज्यपाल के आदेश से**

**(कल्पना कुमारी)**
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 27/DoH/CS/15/2026 – पी०पी०एम० – 88 – /कृ०, पटना, दिनांक-17.09.2026

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**अपर सचिव,**
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 27/DoH/CS/15/2026 – पी०पी०एम० – 88 – /कृ०, पटना, दिनांक-17.09.2026

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**अपर सचिव,**
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 27/DoH/CS/15/2026 – पी०पी०एम० – 88 – /कृ०, पटना, दिनांक-17.09.2026

प्रतिलिपि : संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**अपर सचिव,**
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 27/DoH/CS/15/2026 – पी०पी०एम० - 88- /कृ०, पटना, दिनांक-17.09.202

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृ निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, बिहार पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, पटना/सभी संयुक्त निदेशक (शष्य)/संबंधित उप निदेशक, उद्यान/संबंधित सहायक निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा, (सचिवालय एवं निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 27/DoH/CS/15/2026 – पी०पी०एम० - 88- /कृ०, पटना, दिनांक-17.09. 2026

प्रतिलिपि : उप कृषि निदेशक (शष्य), सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार पदाधिकारी को ई–मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

# अनुसूची–1

## द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत "एकीकृत बागवानी विकास मिशन" के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 से 2027–28 की कार्य योजना का सारांश

(भौतिक हे०/संख्या में एवं राशि लाख रूपये में)

| क्र.सं. | अवयव का नाम | वित्तीय लक्ष्य | | | कुल वित्तीय लक्ष्य | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | भौतिक लक्ष्य | 2026–27 | 2027–28 | | |
| 1 | फलों के क्षेत्र विस्तार (टिश्यू कल्चर केला, आम, लीची, पपीता, ड्रैगन फ्रूट, Citrus {किन्नू/निंबू}, कटहल, अमरूद, शरीफा, एप्पल बेर एवं औषधीय पौधे) की कार्य योजना | 3300 | 1488.00000 | 968.00000 | 2456.00000 | अनुसूची 2 ,3, 4 एवं 6 |
| 2 | केला, लीची, पपीता एवं आम का 1st Year Maintenance की कार्य योजना | 3596.92000 | 987.55040 | - | 987.55040 | अनुसूची 5 |
| 3 | मशरूम उत्पादन हेतु वातानुकूलित आधारभूत संरचना | Project Based | 153.50000 | - | 153.50000 | अनुसूची 7 |
| 4 | वृद्ध बागानों का कायाकल्प/प्रतिस्थापन, छत्र प्रबंधन, INM/IPM | 6000 | 480.00000 | - | 480.00000 | अनुसूची 8 |
| 5 | संरक्षित खेती | 5001 | 1035.50000 | - | 1035.50000 | अनुसूची 9 |
| 6 | सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना | 3 | 200.00000 | - | 200.00000 | अनुसूची 10 |
| 7 | अग्रपंक्ति प्रत्यक्षण | 37 | 693.75000 | | 693.75000 | अनुसूची 11 |
| 8 | मानव संसाधन विकास अंतर्गत प्रशिक्षण एवं परिभ्रमण | Project Based | 250.00000 | - | 250.00000 | अनुसूची 12 |
| 9 | फसलोपरांत प्रबंधन कार्यक्रम | Project Based | 925.88000 | - | 925.88000 | अनुसूची 13 |
| 10 | Other Components | Project Based | 399.87000 | | 399.87000 | अनुसूची 14 |
| 11 | मिशन प्रबंधन | Project Based | 252.17000 | - | 252.17000 | |
| कुल योग | | | **6866.22040** | **968.00000** | **7834.22040** | |

(अभिषेक कुमार)

10/45

## अनुसूची–2

2026–27 एवं 2027–28 के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन अन्तर्गत फलों के क्षेत्र विस्तार (टिश्यू कल्चर केला, आम, लीची, पपीता, ड्रैगन फ्रूट, किन्नू, कटहल, अमरूद, शरीफा एवं एप्पल बेर) का कार्य योजना

(भौतिक हे० एवं राशि लाख रूपये में)

| क्र० सं० | अवयव | इकाई लागत/हे० | सहायता अनुदान का प्रतिशत | अनुदान की राशि/हे० | वित्तीय वर्ष 2026–27 में देय अनुदान की राशि का 60 प्रतिशत | वित्तीय वर्ष 2027–28 में देय अनुदान की राशि का 40 प्रतिशत | भौतिक लक्ष्य (हे०) | वित्तीय लक्ष्य | | कुल वित्तीय लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2026–27 | 2027–28 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | टिश्यू कल्चर केला (समेकित) का क्षेत्र विस्तार | 1.75 | 40% | 0.70 | 0.42 | 0.28 | 2300 | 966.00 | 644.00 | 1610.00 |
| 2 | आम का क्षेत्र विस्तार | 2.00 | 40% | 0.80 | 0.48 | 0.32 | 150 | 72.00 | 48.00 | 120.00 |
| 3 | उच्च घनत्व वाले लीची (समेकित) का क्षेत्र विस्तार | 2.00 | 40% | 0.80 | 0.48 | 0.32 | 150 | 72.00 | 48.00 | 120.00 |
| 4 | पपीता का क्षेत्र विस्तार | 0.75 | 40% | 0.30 | 0.18 | 0.12 | 100 | 18.00 | 12.00 | 30.00 |
| 5 | ड्रैगन फ्रूट का क्षेत्र विस्तार | 6.75 | 40% | 2.70 | 1.62 | 1.08 | 100 | 162.00 | 108.00 | 270.00 |
| 6 | Citrus (किन्नू/निंबू) का क्षेत्र विस्तार | 2.00 | 40% | 0.80 | 0.48 | 0.32 | 150 | 72.00 | 48.00 | 120.00 |
| 7 | कटहल का क्षेत्र विस्तार | 0.75 | 40% | 0.30 | 0.18 | 0.12 | 25 | 4.50 | 3.00 | 7.50 |
| 8 | अमरूद का क्षेत्र विस्तार | 2.00 | 40% | 0.80 | 0.48 | 0.32 | 150 | 72.00 | 48.00 | 120.00 |
| 9 | शरीफा (Custard Apple) का क्षेत्र विस्तार | 0.75 | 40% | 0.30 | 0.18 | 0.12 | 50 | 9.00 | 6.00 | 15.00 |
| 10 | एप्पल बेर का क्षेत्र विस्तार | 0.75 | 40% | 0.30 | 0.18 | 0.12 | 25 | 4.50 | 3.00 | 7.50 |
| | कुल योग :– | | | | | | **3200** | **1452.00** | **968.00** | **2420.00** |

(अभिषेक कुमार)

अनुसूची–3

वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन अन्तर्गत टिश्यू कल्चर केला, आम, लीची, पपीता एवं ड्रैगन फ्रूट के क्षेत्र विस्तार का
जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य विवरणी

(भौतिक हे० में एवं वित्तीय लाख

| क्र० सं० | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम | टिश्यू कल्चर केला (समेकित) (@0.42 लाख/हे०) | | | | | | आम (@0.48 लाख/हे०) | | लीची (समेकित) (@0.48 लाख/हे०) | | पपीता (@0.18 लाख/हे०) | | ड्रैगन फ्रूट (@1.62 लाख/हे०) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | भौतिक लक्ष्य | | | वित्तीय लक्ष्य | | | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य (सामान्य वर्ग) | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य (सामान्य वर्ग) | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य (सामान्य वर्ग) | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य (सामान्य वर्ग) |
| | | सामान्य वर्ग | अनुसूचित जाति | कुल | सामान्य वर्ग | अनुसूचित जाति | कुल | | | | | | | | |
| | | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* |
| 1 | जिला उद्यान पदाधिकारी, अररिया | 50 | 50 | 100 | 21.00 | 21.00 | 42.00 | | - | | - | 0 | - | | - |
| 2 | जिला उद्यान पदाधिकारी, औरंगाबाद | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | - | | - | | - | 25 | 40.50 |
| 3 | जिला उद्यान पदाधिकारी, बाँका | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 50 | 24.00 | | - | | - | | - |
| 4 | जिला उद्यान पदाधिकारी, बेगूसराय | 75 | 75 | 150 | 31.50 | 31.50 | 63.00 | | - | | - | 0 | - | | - |
| 5 | जिला उद्यान पदाधिकारी, भागलपुर | 75 | 75 | 150 | 31.50 | 31.50 | 63.00 | 50 | 24.00 | | - | | - | | - |
| 6 | जिला उद्यान पदाधिकारी, बक्सर | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| 7 | जिला उद्यान पदाधिकारी, दरभंगा | 25 | 25 | 50 | 10.50 | 10.50 | 21.00 | | - | | - | 0 | - | | - |
| 8 | जिला उद्यान पदाधिकारी, गया | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | - | | - | | - | 25 | 40.50 |
| 9 | जिला उद्यान पदाधिकारी, गोपालगंज | 50 | 50 | 100 | 21.00 | 21.00 | 42.00 | | - | | - | | - | | - |
| 10 | जिला उद्यान पदाधिकारी, जहानाबाद | | | 0 | - | - | - | | - | | - | 25 | 4.50 | | - |
| 11 | जिला उद्यान पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| 12 | जिला उद्यान पदाधिकारी, कटिहार | 75 | 75 | 150 | 31.50 | 31.50 | 63.00 | | - | | - | | - | | - |
| 13 | जिला उद्यान पदाधिकारी, खगड़िया | 75 | 75 | 150 | 31.50 | 31.50 | 63.00 | | - | | - | | - | | - |
| 14 | जिला उद्यान पदाधिकारी, किशनगंज | 25 | 25 | 50 | 10.50 | 10.50 | 21.00 | | - | | - | | - | | - |
| 15 | जिला उद्यान पदाधिकारी, लखीसराय | 25 | | 25 | 5.25 | 5.25 | 10.50 | | - | | - | 25 | 4.50 | | - |
| 16 | जिला उद्यान पदाधिकारी, मधेपुरा | 75 | 75 | 150 | 31.50 | 31.50 | 63.00 | | - | | - | 0 | - | | - |
| 17 | जिला उद्यान पदाधिकारी, मधुबनी | 50 | 50 | 100 | 21.00 | 21.00 | 42.00 | | - | | - | | - | | - |
| 18 | जिला उद्यान पदाधिकारी, मुंगेर | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 25 | 12.00 | | - | | - | | - |
| 19 | जिला उद्यान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | - | 50 | 24.00 | | - | | |

(अभिषेक कुमार)

| क्र० सं० | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम | टिश्यू कल्चर केला (समेकित) (@0.42 लाख/हे०) | | | | | | आम (@0.48 लाख/हे०) | | लीची (समेकित) (@0.48 लाख/हे०) | | पपीता (@0.18 लाख/हे०) | | ड्रैगन फ्रूट (@1.62 लाख/हे०) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | भौतिक लक्ष्य | | | वित्तीय लक्ष्य | | | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य (सामान्य वर्ग) | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य (सामान्य वर्ग) | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य (सामान्य वर्ग) | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य (सामान्य वर्ग) |
| | | सामान्य वर्ग | अनुसूचित जाति | कुल | सामान्य वर्ग | अनुसूचित जाति | कुल | | | | | | | | |
| | | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* |
| 20 | जिला उद्यान पदाधिकारी, नालंदा | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | - | | - | | - | 25 | 40.50 |
| 21 | जिला उद्यान पदाधिकारी, नवादा | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | - | | - | | - | 25 | 40.50 |
| 22 | जिला उद्यान पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण | 75 | 75 | 150 | 31.50 | 31.50 | 63.00 | | - | | - | | - | | - |
| 23 | जिला उद्यान पदाधिकारी, पटना | 25 | 25 | 50 | 10.50 | 10.50 | 21.00 | 25 | 12.00 | | - | 25 | 4.50 | | - |
| 24 | जिला उद्यान पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण | 75 | 75 | 150 | 31.50 | 31.50 | 63.00 | | - | 50 | 24.00 | | - | | - |
| 25 | जिला उद्यान पदाधिकारी, पूर्णियाँ | 75 | 100 | 175 | 36.75 | 36.75 | 73.50 | | - | | - | | - | | - |
| 26 | जिला उद्यान पदाधिकारी, रोहतास | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | - | | - | | - | | - |
| 27 | जिला उद्यान पदाधिकारी, सहरसा | 75 | 75 | 150 | 31.50 | 31.50 | 63.00 | | - | | - | | - | | - |
| 28 | जिला उद्यान पदाधिकारी, समस्तीपुर | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | - | 25 | 12.00 | 0 | - | | - |
| 29 | जिला उद्यान पदाधिकारी, सारण | 25 | 25 | 50 | 10.50 | 10.50 | 21.00 | | - | | - | | - | | - |
| 30 | जिला उद्यान पदाधिकारी, शेखपुरा | | | 0 | - | - | - | | - | | - | 25 | 4.50 | | - |
| 31 | जिला उद्यान पदाधिकारी, सीतामढ़ी | 25 | 25 | 50 | 10.50 | 10.50 | 21.00 | | - | | - | | - | | - |
| 32 | जिला उद्यान पदाधिकारी, सीवान | 25 | 25 | 50 | 10.50 | 10.50 | 21.00 | | - | | - | | - | | - |
| 33 | जिला उद्यान पदाधिकारी, सुपौल | 25 | 25 | 50 | 10.50 | 10.50 | 21.00 | | - | | - | | - | | - |
| 34 | जिला उद्यान पदाधिकारी, वैशाली | 125 | 125 | 250 | 52.50 | 52.50 | 105.00 | | - | 25 | 12.00 | | - | | - |
| कुल | | **1150** | **1150** | **2300** | **483.00** | **483.00** | **966.00** | **150** | **72.00** | **150** | **72.00** | **100** | **18.00** | **100** | **162.00** |

(अभिषेक कुमार)

अनुसूची–3

वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन अन्तर्गत किन्नू, कटहल, अमरूद एवं शरीफा के क्षेत्र विस्तार की योजना हेतु
भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य विवरणी

(भौतिक हे० में एवं वित्तीय लाख रूपये में)

| क्र० सं० | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम | Citrus (किन्नू/निंबू) (@0.48 लाख/हे०) | | | कटहल (@0.18 लाख/हे०) | | अमरूद (@0.48 लाख/हे०) | | शरीफा (Custard Apple) (@0.18 लाख/हे०) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रभेद का नाम | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य (सामान्य वर्ग) | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य (सामान्य वर्ग) | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य (सामान्य वर्ग) | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य (सामान्य वर्ग) |
| | | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* |
| 1 | जिला उद्यान पदाधिकारी, अररिया | | | - | | - | | - | | - |
| 2 | जिला उद्यान पदाधिकारी, औरंगाबाद | नींबु | 25 | 12.00 | | - | 50 | 24.00 | | - |
| 3 | जिला उद्यान पदाधिकारी, बाँका | | | - | | - | | - | | - |
| 4 | जिला उद्यान पदाधिकारी, बेगूसराय | | | - | | - | | - | | - |
| 5 | जिला उद्यान पदाधिकारी, भागलपुर | | | - | | - | | - | | - |
| 6 | जिला उद्यान पदाधिकारी, बक्सर | | | - | | - | | - | 25 | 4.50 |
| 7 | जिला उद्यान पदाधिकारी, दरभंगा | | | - | | - | | - | | - |
| 8 | जिला उद्यान पदाधिकारी, गया | नींबु | 25 | 12.00 | | - | 25 | 12.00 | | - |
| 9 | जिला उद्यान पदाधिकारी, गोपालगंज | | | - | | - | | - | | - |
| 10 | जिला उद्यान पदाधिकारी, जहानाबाद | | | - | | - | | - | | - |
| 11 | जिला उद्यान पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) | किन्नू | 25 | 12.00 | | - | 25 | 12.00 | 25 | 4.50 |
| 12 | जिला उद्यान पदाधिकारी, कटिहार | | | - | | - | | - | | - |
| 13 | जिला उद्यान पदाधिकारी, खगड़िया | | | - | | - | | - | | - |
| 14 | जिला उद्यान पदाधिकारी, किशनगंज | | | - | | - | | - | | - |
| 15 | जिला उद्यान पदाधिकारी, लखीसराय | नींबु | 25 | 12.00 | | - | | - | | - |
| 16 | जिला उद्यान पदाधिकारी, मधेपुरा | | | - | | - | | - | | - |
| 17 | जिला उद्यान पदाधिकारी, मधुबनी | | | - | | - | | - | | - |
| 18 | जिला उद्यान पदाधिकारी, मुंगेर | | | - | 25 | 4.50 | 25 | 12.00 | 0 | - |
| 19 | जिला उद्यान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर | | | - | 0 | - | | - | | - |

(अभिषेक कुमार)

| क्र० सं० | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम | Citrus (किन्नू / निंबू) (@0.48 लाख / हे०) | | | कटहल (@0.18 लाख / हे०) | | अमरूद (@0.48 लाख / हे०) | | शरीफा (Custard Apple) (@0.18 लाख / हे०) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रभेद का नाम | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य (सामान्य वर्ग) | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य (सामान्य वर्ग) | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य (सामान्य वर्ग) | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य (सामान्य वर्ग) |
| | | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* |
| 20 | जिला उद्यान पदाधिकारी, नालंदा | | | - | | - | | - | | - |
| 21 | जिला उद्यान पदाधिकारी, नवादा | | | - | | - | | - | | - |
| 22 | जिला उद्यान पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण | | | - | | - | | - | | - |
| 23 | जिला उद्यान पदाधिकारी, पटना | | | - | | - | | - | | - |
| 24 | जिला उद्यान पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण | | | - | | - | | - | | - |
| 25 | जिला उद्यान पदाधिकारी, पूर्णियाँ | | | - | | - | | - | | - |
| 26 | जिला उद्यान पदाधिकारी, रोहतास | नींबु–1<br>किन्नू–1 | 50 | 24.00 | | - | 25 | 12.00 | | - |
| 27 | जिला उद्यान पदाधिकारी, सहरसा | | | - | | - | | - | | - |
| 28 | जिला उद्यान पदाधिकारी, समस्तीपुर | | | - | | - | | - | | - |
| 29 | जिला उद्यान पदाधिकारी, सारण | | | - | | - | | - | | - |
| 30 | जिला उद्यान पदाधिकारी, शेखपुरा | | | - | | - | | - | | - |
| 31 | जिला उद्यान पदाधिकारी, सीतामढ़ी | | | - | | - | | - | | - |
| 32 | जिला उद्यान पदाधिकारी, सीवान | | | - | | - | | - | | - |
| 33 | जिला उद्यान पदाधिकारी, सुपौल | | | - | | - | | - | | - |
| 34 | जिला उद्यान पदाधिकारी, वैशाली | | | - | | - | | - | | - |
| कुल | | | 150 | 72.00 | 25 | 4.50 | 150 | 72.00 | 50 | 9.00 |

(अभिषेक कुमार)

अनुसूची–3

वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन अन्तर्गत एप्पल बेर के क्षेत्र विस्तार की योजना हेतु जिलावार भौतिक एवं वित्तीय

विवरणी

(भौतिक हे० में एवं वित्तीय लाख रूपये में)

| क्र० सं० | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम | एप्पल बेर (@0.18 लाख / हे०) | | कुल | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य (सामान्य वर्ग) | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य | | |
| | | | | | सामान्य वर्ग | अनुसूचित जाति | कुल राशि |
| | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | जिला उद्यान पदाधिकारी, अररिया | | - | 100 | 21.00 | 21.00 | 42.00 |
| 2 | जिला उद्यान पदाधिकारी, औरंगाबाद | | - | 100 | 76.50 | - | 76.50 |
| 3 | जिला उद्यान पदाधिकारी, बाँका | | - | 50 | 24.00 | - | 24.00 |
| 4 | जिला उद्यान पदाधिकारी, बेगूसराय | | - | 150 | 31.50 | 31.50 | 63.00 |
| 5 | जिला उद्यान पदाधिकारी, भागलपुर | | - | 200 | 55.50 | 31.50 | 87.00 |
| 6 | जिला उद्यान पदाधिकारी, बक्सर | | - | 25 | 4.50 | - | 4.50 |
| 7 | जिला उद्यान पदाधिकारी, दरभंगा | | - | 50 | 10.50 | 10.50 | 21.00 |
| 8 | जिला उद्यान पदाधिकारी, गया | | - | 75 | 64.50 | - | 64.50 |
| 9 | जिला उद्यान पदाधिकारी, गोपालगंज | | - | 100 | 21.00 | 21.00 | 42.00 |
| 10 | जिला उद्यान पदाधिकारी, जहानाबाद | | - | 25 | 4.50 | - | 4.50 |
| 11 | जिला उद्यान पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) | | - | 75 | 28.50 | - | 28.50 |
| 12 | जिला उद्यान पदाधिकारी, कटिहार | | - | 150 | 31.50 | 31.50 | 63.00 |
| 13 | जिला उद्यान पदाधिकारी, खगड़िया | | - | 150 | 31.50 | 31.50 | 63.00 |
| 14 | जिला उद्यान पदाधिकारी, किशनगंज | | - | 50 | 10.50 | 10.50 | 21.00 |
| 15 | जिला उद्यान पदाधिकारी, लखीसराय | 25 | 4.50 | 100 | 26.25 | 5.25 | 31.50 |
| 16 | जिला उद्यान पदाधिकारी, मधेपुरा | | - | 150 | 31.50 | 31.50 | 63.00 |
| 17 | जिला उद्यान पदाधिकारी, मधुबनी | | - | 100 | 21.00 | 21.00 | 42.00 |
| 18 | जिला उद्यान पदाधिकारी, मुंगेर | | - | 75 | 28.50 | - | 28.50 |
| 19 | जिला उद्यान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर | | - | 50 | 24.00 | - | 24.00 |

(अभिषेक कुमार)

| क्र० सं० | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम | एप्पल बेर (@0.18 लाख/हे०) | | कुल | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य (सामान्य वर्ग) | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य | | |
| | | | | | सामान्य वर्ग | अनुसूचित जाति | कुल राशि |
| | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 20 | जिला उद्यान पदाधिकारी, नालंदा | 0 | - | 25 | 40.50 | - | 40.50 |
| 21 | जिला उद्यान पदाधिकारी, नवादा | | - | 25 | 40.50 | - | 40.50 |
| 22 | जिला उद्यान पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण | | - | 150 | 31.50 | 31.50 | 63.00 |
| 23 | जिला उद्यान पदाधिकारी, पटना | 0 | - | 100 | 27.00 | 10.50 | 37.50 |
| 24 | जिला उद्यान पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण | | - | 200 | 55.50 | 31.50 | 87.00 |
| 25 | जिला उद्यान पदाधिकारी, पूर्णियाँ | | - | 175 | 36.75 | 36.75 | 73.50 |
| 26 | जिला उद्यान पदाधिकारी, रोहतास | | - | 75 | 36.00 | - | 36.00 |
| 27 | जिला उद्यान पदाधिकारी, सहरसा | | - | 150 | 31.50 | 31.50 | 63.00 |
| 28 | जिला उद्यान पदाधिकारी, समस्तीपुर | | - | 25 | 12.00 | - | 12.00 |
| 29 | जिला उद्यान पदाधिकारी, सारण | | - | 50 | 10.50 | 10.50 | 21.00 |
| 30 | जिला उद्यान पदाधिकारी, शेखपुरा | | - | 25 | 4.50 | - | 4.50 |
| 31 | जिला उद्यान पदाधिकारी, सीतामढ़ी | | - | 50 | 10.50 | 10.50 | 21.00 |
| 32 | जिला उद्यान पदाधिकारी, सीवान | | - | 50 | 10.50 | 10.50 | 21.00 |
| 33 | जिला उद्यान पदाधिकारी, सुपौल | | - | 50 | 10.50 | 10.50 | 21.00 |
| 34 | जिला उद्यान पदाधिकारी, वैशाली | | - | 275 | 64.50 | 52.50 | 117.00 |
| कुल | | 25 | 4.50 | 3200 | 969.00 | 483.00 | 1,452.00 |

(अभिषेक कुमार)

अनुसूची–4

वित्तीय वर्ष 2027–28 के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन अन्तर्गत टिश्यू कल्चर केला, आम, लीची, पपीता, ड्रैगन फ्रूट एवं किन्नू के क्षेत्र विस्तार की योजना हेतु जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य विवरणी

(भौतिक हे० में एवं वित्तीय लाख रूपये में)

| क्र० सं० | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम | टिश्यू कल्चर केला (समेकित) (@0.28 लाख/हे०) | | आम (@0.32 लाख/हे०) | | लीची (समेकित) (@0.32 लाख/हे०) | | पपीता (@0.12 लाख/हे०) | | ड्रैगन फ्रूट (@1.08 लाख/हे०) | | Citrus (किन्नू/निंबू) (@0.32 लाख/हे०) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य | प्रभेद का नाम | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | जिला उद्यान पदाधिकारी, अररिया | 100 | 28.00 | | - | | - | 0 | - | | - | | | - |
| 2 | जिला उद्यान पदाधिकारी, औरंगाबाद | 0 | - | | - | | - | | - | 25 | 27.00 | नींबु | 25 | 8.00 |
| 3 | जिला उद्यान पदाधिकारी, बाँका | 0 | - | 50 | 16.00 | | - | | - | | - | | | - |
| 4 | जिला उद्यान पदाधिकारी, बेगूसराय | 150 | 42.00 | | - | | - | 0 | - | | - | | | - |
| 5 | जिला उद्यान पदाधिकारी, भागलपुर | 150 | 42.00 | 50 | 16.00 | | - | | - | | - | | | - |
| 6 | जिला उद्यान पदाधिकारी, बक्सर | 0 | - | | - | | - | | - | | - | | | - |
| 7 | जिला उद्यान पदाधिकारी, दरभंगा | 50 | 14.00 | | - | | - | 0 | - | | - | | | - |
| 8 | जिला उद्यान पदाधिकारी, गया | 0 | - | | - | | - | | - | 25 | 27.00 | नींबु | 25 | 8.00 |
| 9 | जिला उद्यान पदाधिकारी, गोपालगंज | 100 | 28.00 | | - | | - | | - | | - | | | - |
| 10 | जिला उद्यान पदाधिकारी, जहानाबाद | 0 | - | | - | | - | 25 | 3.00 | | - | | | - |
| 11 | जिला उद्यान पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) | 0 | - | | - | | - | | - | | - | किन्नू | 25 | 8.00 |
| 12 | जिला उद्यान पदाधिकारी, कटिहार | 150 | 42.00 | | - | | - | | - | | - | | | - |
| 13 | जिला उद्यान पदाधिकारी, खगड़िया | 150 | 42.00 | | - | | - | | - | | - | | | - |
| 14 | जिला उद्यान पदाधिकारी, किशनगंज | 50 | 14.00 | | - | | - | | - | | - | | | - |
| 15 | जिला उद्यान पदाधिकारी, लखीसराय | 25 | 7.00 | | - | | - | 25 | 3.00 | | - | नींबु | 25 | 8.00 |
| 16 | जिला उद्यान पदाधिकारी, मधेपुरा | 150 | 42.00 | | - | | - | 0 | - | | - | | | - |
| 17 | जिला उद्यान पदाधिकारी, मधुबनी | 100 | 28.00 | | - | | - | | - | | - | | | - |

(अभिषेक कुमार)

| क्र० सं० | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम | टिश्यू कल्चर केला (समेकित) (@0.28 लाख/हे०) | | आम (@0.32 लाख/हे०) | | लीची (समेकित) (@0.32 लाख/हे०) | | पपीता (@0.12 लाख/हे०) | | ड्रैगन फ्रूट (@1.08 लाख/हे०) | | Citrus (किन्नू/निंबू) (@0.32 लाख/हे०) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य | प्रभेद का नाम | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य |
| | | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *10* | *11* | *12* |
| 18 | जिला उद्यान पदाधिकारी, मुंगेर | - | - | 25 | 8.00 | | - | | - | | - | | | - |
| 19 | जिला उद्यान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर | - | - | | - | 50 | 16.00 | | - | | - | | | - |
| 20 | जिला उद्यान पदाधिकारी, नालंदा | 0 | - | | - | | - | | - | 25 | 27.00 | | | - |
| 21 | जिला उद्यान पदाधिकारी, नवादा | 0 | - | | - | | - | | - | 25 | 27.00 | | | - |
| 22 | जिला उद्यान पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण | 150 | 42.00 | | - | | - | | - | | - | | | - |
| 23 | जिला उद्यान पदाधिकारी, पटना | 50 | 14.00 | 25 | 8.00 | | - | 25 | 3.00 | | - | | | - |
| 24 | जिला उद्यान पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण | 150 | 42.00 | | - | 50 | 16.00 | | - | | - | | | - |
| 25 | जिला उद्यान पदाधिकारी, पूर्णियाँ | 175 | 49.00 | | - | | - | | - | | - | | | - |
| 26 | जिला उद्यान पदाधिकारी, रोहतास | 0 | - | | - | | - | | - | | - | नींबु–1<br>किन्नू–1 | 50 | 16.00 |
| 27 | जिला उद्यान पदाधिकारी, सहरसा | 150 | 42.00 | | - | | - | | - | | - | | | - |
| 28 | जिला उद्यान पदाधिकारी, समस्तीपुर | 0 | - | | - | 25 | 8.00 | 0 | - | | - | | | - |
| 29 | जिला उद्यान पदाधिकारी, सारण | 50 | 14.00 | | - | | - | | - | | - | | | - |
| 30 | जिला उद्यान पदाधिकारी, शेखपुरा | 0 | - | | - | | - | 25 | 3.00 | | - | | | - |
| 31 | जिला उद्यान पदाधिकारी, सीतामढी | 50 | 14.00 | | - | | - | | - | | - | | | - |
| 32 | जिला उद्यान पदाधिकारी, सीवान | 50 | 14.00 | | - | | - | | - | | - | | | - |
| 33 | जिला उद्यान पदाधिकारी, सुपौल | 50 | 14.00 | | - | | - | | - | | - | | | - |
| 34 | जिला उद्यान पदाधिकारी, वैशाली | 250 | 70.00 | | - | 25 | 8.00 | | - | | - | | | - |
| कुल | | **2300** | **644.00** | **150** | **48.00** | **150** | **48.00** | **100** | **12.00** | **100** | **108.00** | | **150** | **48.00** |

(अभिषेक कुमार)

अनुसूची–4

वित्तीय वर्ष 2027–28 के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन अन्तर्गत कटहल, अमरूद, शरीफा एवं एप्पल बेर के क्षेत्र विस्तार की योजना हेतु जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य विवरणी

(भौतिक हे० में एवं वित्तीय लाख रूपये में)

| क्र० सं० | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम | कटहल (@0.12 लाख/हे०) | | अमरूद (@0.32 लाख/हे०) | | शरीफा (Custard Apple) (@0.12 लाख/हे०) | | एप्पल बेर (@0.12 लाख/हे०) | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य (सामान्य वर्ग) |
| | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | जिला उद्यान पदाधिकारी, अररिया | | - | | - | | - | | - | 100 | 28.00 |
| 2 | जिला उद्यान पदाधिकारी, औरंगाबाद | | - | 50 | 16.00 | | - | | - | 100 | 51.00 |
| 3 | जिला उद्यान पदाधिकारी, बाँका | | - | | - | | - | | - | 50 | 16.00 |
| 4 | जिला उद्यान पदाधिकारी, बेगूसराय | | - | | - | | - | | - | 150 | 42.00 |
| 5 | जिला उद्यान पदाधिकारी, भागलपुर | | - | | - | | - | | - | 200 | 58.00 |
| 6 | जिला उद्यान पदाधिकारी, बक्सर | | - | | - | 25 | 3.00 | | - | 25 | 3.00 |
| 7 | जिला उद्यान पदाधिकारी, दरभंगा | | - | | - | | - | | - | 50 | 14.00 |
| 8 | जिला उद्यान पदाधिकारी, गया | | - | 25 | 8.00 | | - | | - | 75 | 43.00 |
| 9 | जिला उद्यान पदाधिकारी, गोपालगंज | | - | | - | | - | | - | 100 | 28.00 |
| 10 | जिला उद्यान पदाधिकारी, जहानाबाद | | - | | - | | - | | - | 25 | 3.00 |
| 11 | जिला उद्यान पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) | | - | 25 | 8.00 | 25 | 3.00 | | - | 75 | 19.00 |
| 12 | जिला उद्यान पदाधिकारी, कटिहार | | - | | - | | - | | - | 150 | 42.00 |
| 13 | जिला उद्यान पदाधिकारी, खगड़िया | | - | | - | | - | | - | 150 | 42.00 |
| 14 | जिला उद्यान पदाधिकारी, किशनगंज | | - | | - | | - | | - | 50 | 14.00 |
| 15 | जिला उद्यान पदाधिकारी, लखीसराय | | - | | - | | - | 25 | 3.00 | 100 | 21.00 |
| 16 | जिला उद्यान पदाधिकारी, मधेपुरा | | - | | - | | - | | - | 150 | 42.00 |
| 17 | जिला उद्यान पदाधिकारी, मधुबनी | | - | | - | | - | | - | 100 | 28.00 |

(अभिषेक कुमार)

| क्र० सं० | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम | कटहल (@0.12 लाख/हे०) | | अमरूद (@0.32 लाख/हे०) | | शरीफा (Custard Apple) (@0.12 लाख/हे०) | | एप्पल बेर (@0.12 लाख/हे०) | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य (सामान्य वर्ग) |
| | | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* |
| 18 | जिला उद्यान पदाधिकारी, मुंगेर | 25 | 3.00 | 25 | 8.00 | 0 | - | | - | 75 | 19.00 |
| 19 | जिला उद्यान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर | 0 | - | | - | | - | | - | 50 | 16.00 |
| 20 | जिला उद्यान पदाधिकारी, नालंदा | | - | | - | | - | 0 | - | 25 | 27.00 |
| 21 | जिला उद्यान पदाधिकारी, नवादा | | - | | - | | - | | - | 25 | 27.00 |
| 22 | जिला उद्यान पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण | | - | | - | | - | | - | 150 | 42.00 |
| 23 | जिला उद्यान पदाधिकारी, पटना | | - | | - | | - | 0 | - | 100 | 25.00 |
| 24 | जिला उद्यान पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण | | - | | - | | - | | - | 200 | 58.00 |
| 25 | जिला उद्यान पदाधिकारी, पूर्णियाँ | | - | | - | | - | | - | 175 | 49.00 |
| 26 | जिला उद्यान पदाधिकारी, रोहतास | | - | 25 | 8.00 | | - | | - | 75 | 24.00 |
| 27 | जिला उद्यान पदाधिकारी, सहरसा | | - | | - | | - | | - | 150 | 42.00 |
| 28 | जिला उद्यान पदाधिकारी, समस्तीपुर | | - | | - | | - | | - | 25 | 8.00 |
| 29 | जिला उद्यान पदाधिकारी, सारण | | - | | - | | - | | - | 50 | 14.00 |
| 30 | जिला उद्यान पदाधिकारी, शेखपुरा | | - | | - | | - | | - | 25 | 3.00 |
| 31 | जिला उद्यान पदाधिकारी, सीतामढ़ी | | - | | - | | - | | - | 50 | 14.00 |
| 32 | जिला उद्यान पदाधिकारी, सीवान | | - | | - | | - | | - | 50 | 14.00 |
| 33 | जिला उद्यान पदाधिकारी, सुपौल | | - | | - | | - | | - | 50 | 14.00 |
| 34 | जिला उद्यान पदाधिकारी, वैशाली | | - | | - | | - | | - | 275 | 78.00 |
| | कुल | **25** | **3.00** | **150** | **48.00** | **50** | **6.00** | **25** | **3.00** | **3200** | **968.00** |

(अभिषेक कुमार)

अनुसूची–5

कृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में संचालित केला, लीची, पपीता एवं आम का 1st Year Maintenance के भुगतान हेतु जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य।

(भौतिक लक्ष्य हे० एवं वित्तीय लक्ष्य लाख रू०

| | व्ययन पदाधिकारी का नाम | 1st Year Maintenance | | | | | | | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | टिश्यू कल्चर केला | | लीची | | पपीता | | आम | | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य (सामान्य वर्ग) |
| | | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | ान पदाधिकारी, अररिया | 45.00000 | 12.60000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 3.00000 | 0.96000 | 48.00000 | 13.56000 |
| | उद्यान पदाधिकारी, अरवल | 35.00000 | 9.80000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 3.00000 | 0.96000 | 38.00000 | 10.76000 |
| | ला उद्यान पदाधिकारी, औरंगाबाद | 48.00000 | 13.44000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 6.00000 | 1.92000 | 54.00000 | 15.36000 |
| | जिला उद्यान पदाधिकारी, बाँका | 30.00000 | 8.40000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 6.00000 | 1.92000 | 36.00000 | 10.32000 |
| 5 | जिला उद्यान पदाधिकारी, बेगूसराय | 80.00000 | 22.40000 | 0.00000 | 0.00000 | 26.26000 | 3.15120 | 4.00000 | 1.28000 | 110.26000 | 26.83120 |
| 6 | जिला उद्यान पदाधिकारी, भागलपुर | 150.00000 | 42.00000 | 5.00000 | 1.60000 | 15.00000 | 1.80000 | 6.00000 | 1.92000 | 176.00000 | 47.32000 |
| 7 | जिला उद्यान पदाधिकारी, भोजपुर | 80.00000 | 22.40000 | 0.00000 | 0.00000 | 11.82000 | 1.41840 | 6.00000 | 1.92000 | 97.82000 | 25.73840 |
| 8 | जिला उद्यान पदाधिकारी, बक्सर | 100.00000 | 28.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 6.82000 | 0.81840 | 6.00000 | 1.92000 | 112.82000 | 30.73840 |
| 9 | जिला उद्यान पदाधिकारी, दरभंगा | 63.00000 | 17.64000 | 0.00000 | 0.00000 | 6.50000 | 0.78000 | 6.00000 | 1.92000 | 75.50000 | 20.34000 |
| 10 | जिला उद्यान पदाधिकारी, गया | 30.00000 | 8.40000 | 0.00000 | 0.00000 | 3.06000 | 0.36720 | 3.00000 | 0.96000 | 36.06000 | 9.72720 |
| 11 | जिला उद्यान पदाधिकारी, गोपालगंज | 120.00000 | 33.60000 | 0.00000 | 0.00000 | 12.00000 | 1.44000 | 6.00000 | 1.92000 | 138.00000 | 36.96000 |
| 12 | जिला उद्यान पदाधिकारी, जमुई | 48.00000 | 13.44000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 6.00000 | 1.92000 | 54.00000 | 15.36000 |
| 13 | जिला उद्यान पदाधिकारी, जहानाबाद | 48.00000 | 13.44000 | 0.00000 | 0.00000 | 7.80000 | 0.93600 | 4.00000 | 1.28000 | 59.80000 | 15.65600 |
| 14 | जिला उद्यान पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) | 22.00000 | 6.16000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 6.00000 | 1.92000 | 28.00000 | 8.08000 |
| 15 | जिला उद्यान पदाधिकारी, कटिहार | 150.00000 | 42.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 6.00000 | 1.92000 | 156.00000 | 43.92000 |
| 16 | जिला उद्यान पदाधिकारी, खगड़िया | 160.00000 | 44.80000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 7.00000 | 2.24000 | 167.00000 | 47.04000 |
| 17 | जिला उद्यान पदाधिकारी, किशनगंज | 80.00000 | 22.40000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 6.00000 | 1.92000 | 86.00000 | 24.32000 |
| 18 | जिला उद्यान पदाधिकारी, लखीसराय | 45.00000 | 12.60000 | 0.00000 | 0.00000 | 3.40000 | 0.40800 | 6.00000 | 1.92000 | 54.40000 | 14.92800 |
| 19 | जिला उद्यान पदाधिकारी, मधेपुरा | 170.00000 | 47.60000 | 0.00000 | 0.00000 | 9.86000 | 1.18320 | 6.00000 | 1.92000 | 185.86000 | 50.70320 |
| 20 | जिला उद्यान पदाधिकारी, मधुबनी | 45.00000 | 12.60000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 6.00000 | 1.92000 | 51.00000 | 14.52000 |
| 21 | जिला उद्यान पदाधिकारी, मुंगेर | 30.00000 | 8.40000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 3.00000 | 0.96000 | 33.00000 | 9.36000 |
| 22 | जिला उद्यान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर | 80.00000 | 22.40000 | 8.00000 | 2.56000 | 10.00000 | 1.20000 | 6.00000 | 1.92000 | 104.00000 | 28.08000 |
| 23 | जिला उद्यान पदाधिकारी, नालंदा | 40.00000 | 11.20000 | 0.00000 | 0.00000 | 9.00000 | 1.08000 | 6.00000 | 1.92000 | 55.00000 | 14.20000 |
| 24 | जिला उद्यान पदाधिकारी, नवादा | 45.00000 | 12.60000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 4.00000 | 1.28000 | 49.00000 | 13.88000 |
| 25 | जिला उद्यान पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण | 170.00000 | 47.60000 | 0.00000 | 0.00000 | 6.80000 | 0.81600 | 6.00000 | 1.92000 | 182.80000 | 50.33600 |
| 26 | जिला उद्यान पदाधिकारी, पटना | 75.00000 | 21.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 4.40000 | 0.52800 | 6.00000 | 1.92000 | 85.40000 | 23.44800 |
| 27 | जिला उद्यान पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण | 150.00000 | 42.00000 | 8.00000 | 2.56000 | 17.30000 | 2.07600 | 5.00000 | 1.60000 | 180.30000 | 48.23600 |
| 28 | जिला उद्यान पदाधिकारी, पूर्णियाँ | 195.00000 | 54.60000 | 0.00000 | 0.00000 | 5.00000 | 0.60000 | 5.00000 | 1.60000 | 205.00000 | 56.80000 |
| 29 | जिला उद्यान पदाधिकारी, रोहतास | 58.00000 | 16.24000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 6.00000 | 1.92000 | 64.00000 | 18.16000 |
| 30 | जिला उद्यान पदाधिकारी, सहरसा | 80.00000 | 22.40000 | 0.00000 | 0.00000 | 10.00000 | 1.20000 | 6.00000 | 1.92000 | 96.00000 | 25.52000 |
| 31 | जिला उद्यान पदाधिकारी, समस्तीपुर | 85.00000 | 23.80000 | 3.00000 | 0.96000 | 14.90000 | 1.78800 | 6.00000 | 1.92000 | 108.90000 | 28.46800 |
| 32 | जिला उद्यान पदाधिकारी, सारण | 90.00000 | 25.20000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 5.00000 | 1.60000 | 95.00000 | 26.80000 |
| 33 | जिला उद्यान पदाधिकारी, शेखपुरा | 23.00000 | 6.44000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 4.00000 | 1.28000 | 27.00000 | 7.72000 |
| 34 | जिला उद्यान पदाधिकारी, शिवहर | 77.00000 | 21.56000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 4.00000 | 1.28000 | 81.00000 | 22.84000 |
| 35 | जिला उद्यान पदाधिकारी, सीतामढ़ी | 100.00000 | 28.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 5.00000 | 1.60000 | 105.00000 | 29.60000 |
| 36 | जिला उद्यान पदाधिकारी, सीवान | 130.00000 | 36.40000 | 3.00000 | 0.96000 | 0.00000 | 0.00000 | 5.00000 | 1.60000 | 138.00000 | 38.96000 |
| 37 | जिला उद्यान पदाधिकारी, सुपौल | 120.00000 | 33.60000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 5.00000 | 1.60000 | 125.00000 | 35.20000 |
| 38 | जिला उद्यान पदाधिकारी, वैशाली | 90.00000 | 25.20000 | 3.00000 | 0.96000 | 0.00000 | 0.00000 | 5.00000 | 1.60000 | 98.00000 | 27.76000 |
| | कुल योग | **3187.00000** | **892.36000** | **30.00000** | **9.60000** | **179.92000** | **21.59040** | **200.00000** | **64.00000** | **3596.92000** | **987.55040** |

22/45

(अभिषेक कुमार)

## अनुसूची–6

### तीय वर्ष 2026–27 में एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) अन्तर्गत औषधीय पौधे का जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य।

(भौतिक लक्ष्य हे० एवं वित्तीय लक्ष्य लाख रू० में)

| क्र० सं० | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम | औषधीय पौध का नाम | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य (सामान्य वर्ग) |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | जिला उद्यान पदाधिकारी, भोजपुर | एलोवेरा | 10 | 3.60 |
| 2 | जिला उद्यान पदाधिकारी, जहानाबाद | | 10 | 3.60 |
| 3 | जिला उद्यान पदाधिकारी, पटना | | 10 | 3.60 |
| 4 | जिला उद्यान पदाधिकारी, वैशाली | अश्वगंधा | 10 | 3.60 |
| 5 | जिला उद्यान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर | | 10 | 3.60 |
| 6 | जिला उद्यान पदाधिकारी, समस्तीपुर | | 10 | 3.60 |
| 7 | जिला उद्यान पदाधिकारी, समस्तीपुर | ब्राह्मी | 10 | 3.60 |
| 8 | जिला उद्यान पदाधिकारी, वैशाली | | 10 | 3.60 |
| 8 | जिला उद्यान पदाधिकारी, नवादा | शतावरी | 8 | 2.88 |
| 9 | जिला उद्यान पदाधिकारी, मुंगेर | | 8 | 2.88 |
| 10 | जिला उद्यान पदाधिकारी, नालंदा | | 4 | 1.44 |
| कुल योग | | | **100** | **36.000** |

नोट– एलोवेरा, अश्वगंधा एवं ब्राहमी पौध की खेती हेतु 5 हेक्टेयर प्रति राजस्व ग्राम/क्लस्टर एवं शतावरी पौध की खेती हेतु 4 हेक्टेयर प्रति राजस्व ग्राम/क्लस्टर चिन्हित किया जाना है।

(अभिषेक कुमार)

## अनुसूची–7

य वर्ष 2026–27 में एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) अन्तर्गत मशरूम उत्पादन हेतु वातानुकूलित आधारभूत संरचना का अवयववार, जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य।

(भौतिक संख्या में एवं वित्तीय लाख रू० में)

| क्र0सं0 | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम | अवयव | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य (सामान्य वर्ग) |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | उद्यान निदेशालय (मुख्यालय), बिहार, पटना | मशरूम उत्पादन इकाई | 4 | 48.00 |
| | | मशरूम कम्पोस्ट इकाई | 5 | 30.00 |
| | | मशरूम स्पॉन निर्माण इकाई | 5 | 37.50 |
| 2 | जिला उद्यान पदाधिकारी, अररिया | कम लागत/ छोटे पैमाने पर मशरूम उत्पादन | 1 | 1.00 |
| 3 | जिला उद्यान पदाधिकारी, अरवल | | 1 | 1.00 |
| 4 | जिला उद्यान पदाधिकारी, औरंगाबाद | | 1 | 1.00 |
| 5 | जिला उद्यान पदाधिकारी, बाँका | | 1 | 1.00 |
| 6 | जिला उद्यान पदाधिकारी, बेगूसराय | | 1 | 1.00 |
| 7 | जिला उद्यान पदाधिकारी, भागलपुर | | 1 | 1.00 |
| 8 | जिला उद्यान पदाधिकारी, भोजपुर | | 1 | 1.00 |
| 9 | जिला उद्यान पदाधिकारी, बक्सर | | 1 | 1.00 |
| 10 | जिला उद्यान पदाधिकारी, दरभंगा | | 1 | 1.00 |
| 11 | जिला उद्यान पदाधिकारी, गया | | 1 | 1.00 |
| 12 | जिला उद्यान पदाधिकारी, गोपालगंज | | 1 | 1.00 |
| 13 | जिला उद्यान पदाधिकारी, जमुई | | 1 | 1.00 |
| 14 | जिला उद्यान पदाधिकारी, जहानाबाद | | 1 | 1.00 |
| 15 | जिला उद्यान पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) | | 1 | 1.00 |
| 16 | जिला उद्यान पदाधिकारी, कटिहार | | 1 | 1.00 |
| 17 | जिला उद्यान पदाधिकारी, खगड़िया | | 1 | 1.00 |
| 18 | जिला उद्यान पदाधिकारी, किशनगंज | | 1 | 1.00 |
| 19 | जिला उद्यान पदाधिकारी, लखीसराय | | 1 | 1.00 |
| 20 | जिला उद्यान पदाधिकारी, मधेपुरा | | 1 | 1.00 |
| 21 | जिला उद्यान पदाधिकारी, मधुबनी | | 1 | 1.00 |
| 22 | जिला उद्यान पदाधिकारी, मुंगेर | | 1 | 1.00 |
| 23 | जिला उद्यान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर | | 1 | 1.00 |
| 24 | जिला उद्यान पदाधिकारी, नालंदा | | 1 | 1.00 |

(अभिषेक कुमार)

| क्र0सं0 | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम | अवयव | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय (सामान्य |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 25 | जिला उद्यान पदाधिकारी, नवादा | कम लागत/ छोटे पैमाने पर मशरूम उत्पादन | 1 | 1.00 |
| 26 | जिला उद्यान पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण | | 1 | 1.00 |
| 27 | जिला उद्यान पदाधिकारी, पटना | | 1 | 1.00 |
| 28 | जिला उद्यान पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण | | 1 | 1.00 |
| 29 | जिला उद्यान पदाधिकारी, पूर्णियाँ | | 1 | 1.00 |
| 30 | जिला उद्यान पदाधिकारी, रोहतास | | 1 | 1.00 |
| 31 | जिला उद्यान पदाधिकारी, सहरसा | | 1 | 1.00 |
| 32 | जिला उद्यान पदाधिकारी, समस्तीपुर | | 1 | 1.00 |
| 33 | जिला उद्यान पदाधिकारी, सारण | | 1 | 1.00 |
| 34 | जिला उद्यान पदाधिकारी, शेखपुरा | | 1 | 1.00 |
| 35 | जिला उद्यान पदाधिकारी, शिवहर | | 1 | 1.00 |
| 36 | जिला उद्यान पदाधिकारी, सीतामढ़ी | | 1 | 1.00 |
| 37 | जिला उद्यान पदाधिकारी, सीवान | | 1 | 1.00 |
| 38 | जिला उद्यान पदाधिकारी, सुपौल | | 1 | 1.00 |
| 39 | जिला उद्यान पदाधिकारी, वैशाली | | 1 | 1.00 |
| **कुल योग** | | | **52** | **153.50** |

(अभिषेक कुमार)

## अनुसूची–8

### 2026–27 में एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) अन्तर्गत वृद्ध बागानों का कायाकल्प/प्रतिस्थापन, छत्र प्रबंधन का जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य।

(भौतिक हे० में एवं वित्तीय लाख रू० में)

| | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम | मृत/मर रहे/पुराने पौधों को हटाना | | नए पौधे के साथ उपरी कार्य एवं रिक्त स्थान भरना | | पोषक तत्व प्रबंधन, कीट प्रबंधन एवं सिंचाई क लिए आवश्यक लागत | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य (सामान्य वर्ग) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | जिला उद्यान पदाधिकारी, बाँका | 100 | 4.00 | 100 | 4.00 | 100 | 16.00 | 300 | 24.00 |
| 2 | जिला उद्यान पदाधिकारी, भागलपुर | 100 | 4.00 | 200 | 8.00 | 100 | 16.00 | 400 | 28.00 |
| 3 | जिला उद्यान पदाधिकारी, भोजपुर | 50 | 2.00 | 50 | 2.00 | 50 | 8.00 | 150 | 12.00 |
| 4 | जिला उद्यान पदाधिकारी, बक्सर | 50 | 2.00 | 50 | 2.00 | 50 | 8.00 | 150 | 12.00 |
| 5 | जिला उद्यान पदाधिकारी, दरभंगा | 100 | 4.00 | 100 | 4.00 | 100 | 16.00 | 300 | 24.00 |
| 6 | जिला उद्यान पदाधिकारी, कटिहार | 100 | 4.00 | 100 | 4.00 | 100 | 16.00 | 300 | 24.00 |
| 7 | जिला उद्यान पदाधिकारी, खगड़िया | 100 | 4.00 | 100 | 4.00 | 100 | 16.00 | 300 | 24.00 |
| 8 | जिला उद्यान पदाधिकारी, मधुबनी | 100 | 4.00 | 100 | 4.00 | 100 | 16.00 | 300 | 24.00 |
| 9 | जिला उद्यान पदाधिकारी, मुंगेर | 100 | 4.00 | 100 | 4.00 | 100 | 16.00 | 300 | 24.00 |
| 10 | जिला उद्यान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर | 200 | 8.00 | 200 | 8.00 | 200 | 32.00 | 600 | 48.00 |
| 11 | जिला उद्यान पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण | 100 | 4.00 | 100 | 4.00 | 100 | 16.00 | 300 | 24.00 |
| 12 | जिला उद्यान पदाधिकारी, पटना | 100 | 4.00 | 100 | 4.00 | 100 | 16.00 | 300 | 24.00 |
| 13 | जिला उद्यान पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण | 100 | 4.00 | 100 | 4.00 | 100 | 16.00 | 300 | 24.00 |
| 14 | जिला उद्यान पदाधिकारी, पूर्णियाँ | 100 | 4.00 | 100 | 4.00 | 100 | 16.00 | 300 | 24.00 |
| 15 | जिला उद्यान पदाधिकारी, सहरसा | 100 | 4.00 | 100 | 4.00 | 100 | 16.00 | 300 | 24.00 |
| 16 | जिला उद्यान पदाधिकारी, समस्तीपुर | 100 | 4.00 | 100 | 4.00 | 100 | 16.00 | 300 | 24.00 |
| 17 | जिला उद्यान पदाधिकारी, सीतामढ़ी | 100 | 4.00 | 100 | 4.00 | 100 | 16.00 | 300 | 24.00 |
| 18 | जिला उद्यान पदाधिकारी, सुपौल | 100 | 4.00 | 100 | 4.00 | 100 | 16.00 | 300 | 24.00 |
| 19 | जिला उद्यान पदाधिकारी, वैशाली | 200 | 8.00 | 100 | 4.00 | 200 | 32.00 | 500 | 44.00 |
| | **कुल योग** | **2000** | **80.00** | **2000** | **80.00** | **2000** | **320.00** | **6000** | **480.00** |

26/45

(अभिषेक कुमार)

अनुसूची–9

वित्तीय वर्ष 2026–27 में एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) अन्तर्गत संरक्षित खेती (Shadenet एवं प्लास्टिक मल्चिंग) अवयव का जिलावार भौतिक एवं वित्तीय ल

(भौतिक

| क्र० सं० | जिला का नाम | शेडनेट | | प्लास्टिक मल्चिंग | | | | | | | | कुल वित्तीय लक्ष्य | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य | | | | वित्तीय लक्ष्य | | | | | | | |
| | | सामान्य वर्ग | सामान्य वर्ग | सामान्य वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | कुल | सामान्य वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | कुल | सामान्य वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | जिला उद्यान पदाधिकारी, अररिया | - | - | 106.962704 | 33.2578432 | 11.7794528 | 152.00000 | 21.39254 | 6.65157 | 2.35589 | 30.40000 | 21.39254 | 6.65157 | 2.35589 | 30.40000 |
| 2 | जिला उद्यान पदाधिकारी, अरवल | - | - | 57.703564 | 17.9417312 | 6.3547048 | 82.00000 | 11.54071 | 3.58835 | 1.27094 | 16.40000 | 11.54071 | 3.58835 | 1.27094 | 16.40000 |
| 3 | जिला उद्यान पदाधिकारी, औरंगाबाद | - | - | 57.703564 | 17.9417312 | 6.3547048 | 82.00000 | 11.54071 | 3.58835 | 1.27094 | 16.40000 | 11.54071 | 3.58835 | 1.27094 | 16.40000 |
| 4 | जिला उद्यान पदाधिकारी, बांका | - | - | 57.703564 | 17.9417312 | 6.3547048 | 82.00000 | 11.54071 | 3.58835 | 1.27094 | 16.40000 | 11.54071 | 3.58835 | 1.27094 | 16.40000 |
| 5 | जिला उद्यान पदाधिकारी, बेगूसराय | - | - | 106.962704 | 33.2578432 | 11.7794528 | 152.00000 | 21.39254 | 6.65157 | 2.35589 | 30.40000 | 21.39254 | 6.65157 | 2.35589 | 30.40000 |
| 6 | जिला उद्यान पदाधिकारी, भागलपुर | - | - | 57.703564 | 17.9417312 | 6.3547048 | 82.00000 | 11.54071 | 3.58835 | 1.27094 | 16.40000 | 11.54071 | 3.58835 | 1.27094 | 16.40000 |
| 7 | जिला उद्यान पदाधिकारी, भोजपुर | - | - | 57.703564 | 17.9417312 | 6.3547048 | 82.00000 | 11.54071 | 3.58835 | 1.27094 | 16.40000 | 11.54071 | 3.58835 | 1.27094 | 16.40000 |
| 8 | जिला उद्यान पदाधिकारी, बक्सर | - | - | 106.962704 | 33.2578432 | 11.7794528 | 152.00000 | 21.39254 | 6.65157 | 2.35589 | 30.40000 | 21.39254 | 6.65157 | 2.35589 | 30.40000 |
| 9 | जिला उद्यान पदाधिकारी, दरभंगा | - | - | 106.962704 | 33.2578432 | 11.7794528 | 152.00000 | 21.39254 | 6.65157 | 2.35589 | 30.40000 | 21.39254 | 6.65157 | 2.35589 | 30.40000 |
| 10 | जिला उद्यान पदाधिकारी, गया | - | - | 57.703564 | 17.9417312 | 6.3547048 | 82.00000 | 11.54071 | 3.58835 | 1.27094 | 16.40000 | 11.54071 | 3.58835 | 1.27094 | 16.40000 |
| 11 | जिला उद्यान पदाधिकारी, गोपालगंज | - | - | 106.962704 | 33.2578432 | 11.7794528 | 152.00000 | 21.39254 | 6.65157 | 2.35589 | 30.40000 | 21.39254 | 6.65157 | 2.35589 | 30.40000 |
| 12 | जिला उद्यान पदाधिकारी, जमुई | - | - | 57.703564 | 17.9417312 | 6.3547048 | 82.00000 | 11.54071 | 3.58835 | 1.27094 | 16.40000 | 11.54071 | 3.58835 | 1.27094 | 16.40000 |
| 13 | जिला उद्यान पदाधिकारी, जहानाबाद | - | - | 97.110876 | 30.1946208 | 10.6945032 | 138.00000 | 19.42218 | 6.03892 | 2.13890 | 27.60000 | 19.42218 | 6.03892 | 2.13890 | 27.60000 |
| 14 | जिला उद्यान पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) | - | - | 106.962704 | 33.2578432 | 11.7794528 | 152.00000 | 21.39254 | 6.65157 | 2.35589 | 30.40000 | 21.39254 | 6.65157 | 2.35589 | 30.40000 |
| 15 | जिला उद्यान पदाधिकारी, कटिहार | - | - | 106.962704 | 33.2578432 | 11.7794528 | 152.00000 | 21.39254 | 6.65157 | 2.35589 | 30.40000 | 21.39254 | 6.65157 | 2.35589 | 30.40000 |
| 16 | जिला उद्यान पदाधिकारी, खगड़िया | - | - | 106.962704 | 33.2578432 | 11.7794528 | 152.00000 | 21.39254 | 6.65157 | 2.35589 | 30.40000 | 21.39254 | 6.65157 | 2.35589 | 30.40000 |
| 17 | जिला उद्यान पदाधिकारी, किशनगंज | - | - | 57.703564 | 17.9417312 | 6.3547048 | 82.00000 | 11.54071 | 3.58835 | 1.27094 | 16.40000 | 11.54071 | 3.58835 | 1.27094 | 16.40000 |
| 18 | जिला उद्यान पदाधिकारी, लखीसराय | - | - | 105.555300 | 32.8202400 | 11.6244600 | 150.00000 | 21.11106 | 6.56405 | 2.32489 | 30.00000 | 21.11106 | 6.56405 | 2.32489 | 30.00000 |
| 19 | जिला उद्यान पदाधिकारी, मधेपुरा | - | - | 105.555300 | 32.8202400 | 11.6244600 | 150.00000 | 21.11106 | 6.56405 | 2.32489 | 30.00000 | 21.11106 | 6.56405 | 2.32489 | 30.00000 |
| 20 | जिला उद्यान पदाधिकारी, मधुबनी | - | - | 105.555300 | 32.8202400 | 11.6244600 | 150.00000 | 21.11106 | 6.56405 | 2.32489 | 30.00000 | 21.11106 | 6.56405 | 2.32489 | 30.00000 |
| 21 | जिला उद्यान पदाधिकारी, मुंगेर | - | - | 105.555300 | 32.8202400 | 11.6244600 | 150.00000 | 21.11106 | 6.56405 | 2.32489 | 30.00000 | 21.11106 | 6.56405 | 2.32489 | 30.00000 |
| 22 | जिला उद्यान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर | - | - | 57.703564 | 17.9417312 | 6.3547048 | 82.00000 | 11.54071 | 3.58835 | 1.27094 | 16.40000 | 11.54071 | 3.58835 | 1.27094 | 16.40000 |
| 23 | जिला उद्यान पदाधिकारी, नालन्दा | - | - | 154.814440 | 48.1363520 | 17.0492080 | 220.00000 | 30.96289 | 9.62727 | 3.40984 | 44.00000 | 30.96289 | 9.62727 | 3.40984 | 44.00000 |
| 24 | जिला उद्यान पदाधिकारी, नवादा | - | - | 123.851552 | 38.5090816 | 13.6393664 | 176.00000 | 24.77031 | 7.70182 | 2.72787 | 35.20000 | 24.77031 | 7.70182 | 2.72787 | 35.20000 |
| 25 | जिला उद्यान पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण | - | - | 57.703564 | 17.9417312 | 6.3547048 | 82.00000 | 11.54071 | 3.58835 | 1.27094 | 16.40000 | 11.54071 | 3.58835 | 1.27094 | 16.40000 |
| 26 | जिला उद्यान पदाधिकारी, पटना | - | - | 123.851552 | 38.5090816 | 13.6393664 | 176.00000 | 24.77031 | 7.70182 | 2.72787 | 35.20000 | 24.77031 | 7.70182 | 2.72787 | 35.20000 |
| 27 | जिला उद्यान पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण | - | - | 123.851552 | 38.5090816 | 13.6393664 | 176.00000 | 24.77031 | 7.70182 | 2.72787 | 35.20000 | 24.77031 | 7.70182 | 2.72787 | 35.20000 |
| 28 | जिला उद्यान पदाधिकारी, पूर्णियाँ | - | - | 130.888572 | 40.6970976 | 14.4143304 | 186.00000 | 26.17771 | 8.13942 | 2.88287 | 37.20000 | 26.17771 | 8.13942 | 2.88287 | 37.20000 |
| 29 | जिला उद्यान पदाधिकारी, रोहतास | - | - | 130.888572 | 40.6970976 | 14.4143304 | 186.00000 | 26.17771 | 8.13942 | 2.88287 | 37.20000 | 26.17771 | 8.13942 | 2.88287 | 37.20000 |
| 30 | जिला उद्यान पदाधिकारी, सहरसा | - | - | 64.740584 | 20.1297472 | 7.1296688 | 92.00000 | 12.94812 | 4.02595 | 1.42593 | 18.40000 | 12.94812 | 4.02595 | 1.42593 | 18.40000 |
| 31 | जिला उद्यान पदाधिकारी, समस्तीपुर | - | - | 161.851460 | 50.3243680 | 17.8241720 | 230.00000 | 32.37029 | 10.06487 | 3.56483 | 46.00000 | 32.37029 | 10.06487 | 3.56483 | 46.00000 |
| 32 | जिला उद्यान पदाधिकारी, सारण | - | - | 64.740584 | 20.1297472 | 7.1296688 | 92.00000 | 12.94812 | 4.02595 | 1.42593 | 18.40000 | 12.94812 | 4.02595 | 1.42593 | 18.40000 |
| 33 | जिला उद्यान पदाधिकारी, शेखपुरा | - | - | 64.740584 | 20.1297472 | 7.1296688 | 92.00000 | 12.94812 | 4.02595 | 1.42593 | 18.40000 | 12.94812 | 4.02595 | 1.42593 | 18.40000 |
| 34 | जिला उद्यान पदाधिकारी, शिवहर | - | - | 64.740584 | 20.1297472 | 7.1296688 | 92.00000 | 12.94812 | 4.02595 | 1.42593 | 18.40000 | 12.94812 | 4.02595 | 1.42593 | 18.40000 |
| 35 | जिला उद्यान पदाधिकारी, सीतामढ़ी | - | - | 64.740584 | 20.1297472 | 7.1296688 | 92.00000 | 12.94812 | 4.02595 | 1.42593 | 18.40000 | 12.94812 | 4.02595 | 1.42593 | 18.40000 |
| 36 | जिला उद्यान पदाधिकारी, सिवान | - | - | 97.110876 | 30.1946208 | 10.6945032 | 138.00000 | 19.42218 | 6.03892 | 2.13890 | 27.60000 | 19.42218 | 6.03892 | 2.13890 | 27.60000 |
| 37 | जिला उद्यान पदाधिकारी, सुपौल | - | - | 64.740584 | 20.1297472 | 7.1296688 | 92.00000 | 12.94812 | 4.02595 | 1.42593 | 18.40000 | 12.94812 | 4.02595 | 1.42593 | 18.40000 |
| 38 | जिला उद्यान पदाधिकारी, वैशाली | - | - | 130.888572 | 40.6970976 | 14.4143304 | 186.00000 | 26.17762 | 8.13952 | 2.88286 | 37.20000 | 26.17762 | 8.13952 | 2.88286 | 37.20000 |
| 39 | उद्यान निदेशालय (मुख्यालय), बिहार, पटना | 1 | 35.50 | 0.000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 35.50000 | 0.00000 | 0.00000 | 35.50000 |
| | **कुल योग** | **1** | **35.50** | **3518.510000** | **1094.0080000** | **387.4820000** | **5000.00000** | **703.70191** | **218.80170** | **77.49639** | **1000.00000** | **739.20191** | **218.80170** | **77.49639** | **1035.50000** |

(अभिषेक कुमार)

अनुसूची–10

27 में एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) अन्तर्गत बागवानी फसलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हेतु भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य।

(भौतिक लक्ष्य संख्या एवं वित्तीय लाख रू० में)

| निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | सामान्य वर्ग (82.67%) | अनुसूचित जाति (15.89%) | अनुसूचित जनजाति (1.44%) | कुल |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| उद्यान निदेशालय (मुख्यालय), बिहार, पटना | 3 | 165.34 | 31.78 | 2.88 | 200.00 |
| कुल योग | **3** | **165.34** | **31.78** | **2.88** | **200.00** |

(अभिषेक कुमार)

28/45

अनुसूची–11

य वर्ष 2026–27 में एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) अन्तर्गत अग्रपंक्ति प्रत्यक्षण हेतु भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य।

(भौतिक लक्ष्य संख्या एवं वित्तीय लाख रू० में)

| निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | सामान्य वर्ग (82.67%) | अनुसूचित जाति (15.89%) | अनुसूचित जनजाति (1.44%) | कुल |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| उद्यान निदेशालय (मुख्यालय), बिहार, पटना | 37 | 573.52 | 110.24 | 9.99 | 693.75 |
| कुल योग | **37** | **573.52** | **110.24** | **9.99** | **693.75** |

(अभिषेक कुमार)

29/45

अनुसूची–12

26–27 में एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) अन्तर्गत मानव संसाधन विकास अंतर्गत प्रशिक्षण एवं परिभ्रमण हेतु वित्तीय लक्ष्य।

(वित्तीय लाख रू० में)

| | कासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम | अवयव | सामान्य वर्ग (82.67%) | अनुसूचित जाति (15.89%) | अनुसूचित जनजाति (1.44%) | वित्तीय लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | उद्यान निदेशालय (मुख्यालय), बिहार, पटना | राज्य के बाहर प्रशिक्षण एवं परिभ्रमण | 206.675 | 39.725 | 3.600 | 250.00 |
| | कुल योग | | **206.675** | **39.725** | **3.600** | **250.000** |

(अभिषेक कुमार)

30/45

## अनुसूची–13

### वित्तीय वर्ष 2026–27 में एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) अन्तर्गत फसलोपरांत प्रबंधन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य।

(भौतिक संख्या में एवं वित्तीय

| क्र0सं0 | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम | पैक हाउस | | मोबाईल प्री–कूलिंग यूनिट | | कोल्ड स्टोरेज टाईप–1 | | कोल्ड स्टोरेज टाईप–2 | | रेफ्रिजरेटेड ट्रांस्पोर्ट व्हेकिल | | Solar Crop Dryer | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य (सामान्य वर्ग) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* |
| 1 | उद्यान निदेशालय (मुख्यालय), बिहार, पटना | 8 | 40 | 2 | 21 | 6 | 350 | 3 | 200 | 5 | 34.88 | 200 | 280 | 224 | 925.88 |
| कुल योग- | | **8** | **40.00** | **2** | **21.00** | **6** | **350.00** | **3** | **200.00** | **5** | **34.88** | **200** | **280.00** | **224** | **925.88** |

(अभिषेक कुमार)

अनुसूची–14

वित्तीय वर्ष 2026–27 में एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) अन्तर्गत मिशन प्रबंधन मद में होने वाले व्यय का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य।

(भौतिक संख्या ...

| क्र0सं0 | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम | राज्य एवं जिला मिशन कार्यालय हेतु प्रशासनिक खर्च | | कम्पयूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर की खरीद एवं संस्थागत सुदृढ़ीकरण के व्यय से संबंधित (Other Components) | | अंतरराष्ट्रीय स्तरीय सेमिनार/कार्यशाला/प्रदर्शनी | | राष्ट्रीय स्तरीय सेमिनार/कार्यशाला/प्रदर्शनी | | राज्य स्तरीय सेमिनार/कार्यशाला/प्रदर्शनी | | प्रचार–प्रसार | | राज्य स्तर पर विशेषज्ञों को रखने के लिए परियोजना निगरानी इकाई (TSG) | | कुल वित्तीय लक्ष्य | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य | सामान्य वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | कुल |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* |
| 1 | उद्यान निदेशालय (मुख्यालय), बिहार, पटना | Project Based | 252.17 | Project Based | 161.87 | 2 | 15 | 6.00 | 30 | 6 | 18.00 | 125 | 125.00 | 1 | 50.00 | 439.633968 | 207.498846 | 4.907186 | 652.04000 |
| कुल योग | | - | **252.17** | - | **161.87** | **2** | **15** | **6.00** | **30** | **6** | **18.00** | **125** | **125.00** | **-** | **50.00** | **439.63397** | **207.49885** | **4.90719** | **652.04000** |

(अभिषेक कुमार)

# अनुसूची–15

र्ष 2026–27 एवं 2027–28 के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना का जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य।

(भौतिक हे० एवं वित्तीय लाख रूपये में)

| क्र० सं० | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य | | कुल योग |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026–27 | 2027–28 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | जिला उद्यान पदाधिकारी, अररिया | 300.0000 | 86.96000 | 28.00000 | 114.96000 |
| 2 | जिला उद्यान पदाधिकारी, अरवल | 120.0000 | 28.16000 | - | 28.16000 |
| 3 | जिला उद्यान पदाधिकारी, औरंगाबाद | 236.0000 | 109.26000 | 51.00000 | 160.26000 |
| 4 | जिला उद्यान पदाधिकारी, बाँका | 468.0000 | 75.71999 | 16.00000 | 91.71999 |
| 5 | जिला उद्यान पदाधिकारी, बेगूसराय | 412.2600 | 121.23120 | 42.00000 | 163.23120 |
| 6 | जिला उद्यान पदाधिकारी, भागलपुर | 858.0000 | 179.72000 | 58.00000 | 237.72000 |
| 7 | जिला उद्यान पदाधिकारी, भोजपुर | 339.8200 | 58.73840 | - | 58.73840 |
| 8 | जिला उद्यान पदाधिकारी, बक्सर | 439.8200 | 78.63840 | 3.00000 | 81.63840 |
| 9 | जिला उद्यान पदाधिकारी, दरभंगा | 577.5000 | 96.74000 | 14.00000 | 110.74000 |
| 10 | जिला उद्यान पदाधिकारी, गया | 193.0600 | 91.62720 | 43.00000 | 134.62720 |
| 11 | जिला उद्यान पदाधिकारी, गोपालगंज | 390.0000 | 110.36000 | 28.00000 | 138.36000 |
| 12 | जिला उद्यान पदाधिकारी, जमुई | 136.0000 | 32.76000 | - | 32.76000 |
| 13 | जिला उद्यान पदाधिकारी, जहानाबाद | 232.8000 | 52.35600 | 3.00000 | 55.35600 |
| 14 | जिला उद्यान पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) | 255.0000 | 67.98001 | 19.00000 | 86.98001 |
| 15 | जिला उद्यान पदाधिकारी, कटिहार | 758.0000 | 162.32000 | 42.00000 | 204.32000 |
| 16 | जिला उद्यान पदाधिकारी, खगड़िया | 769.0000 | 165.44000 | 42.00000 | 207.44000 |
| 17 | जिला उद्यान पदाधिकारी, किशनगंज | 218.0000 | 62.71999 | 14.00000 | 76.71999 |
| 18 | जिला उद्यान पदाधिकारी, लखीसराय | 304.4000 | 77.42801 | 21.00000 | 98.42801 |
| 19 | जिला उद्यान पदाधिकारी, मधेपुरा | 485.8600 | 144.70321 | 42.00000 | 186.70321 |

(अभिषेक कुमार)

| क्र० सं० | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026–27 | 2027–28 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | जिला उद्यान पदाधिकारी, मधुबनी | 601.0000 | 111.52000 | 28.00000 | 139.52000 |
| 21 | जिला उद्यान पदाधिकारी, मुंगेर | 566.0000 | 95.74000 | 19.00000 | 114.74000 |
| 22 | जिला उद्यान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर | 846.0000 | 121.08000 | 16.00000 | 137.08000 |
| 23 | जिला उद्यान पदाधिकारी, नालंदा | 304.0000 | 101.14000 | 27.00000 | 128.14000 |
| 24 | जिला उद्यान पदाधिकारी, नवादा | 258.0000 | 93.46000 | 27.00000 | 120.46000 |
| 25 | जिला उद्यान पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण | 714.8000 | 154.73600 | 42.00000 | 196.73600 |
| 26 | जिला उद्यान पदाधिकारी, पटना | 671.4000 | 124.74800 | 25.00000 | 149.74800 |
| 27 | जिला उद्यान पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण | 856.3000 | 195.43600 | 58.00000 | 253.43600 |
| 28 | जिला उद्यान पदाधिकारी, पूर्णियाँ | 866.0000 | 192.50000 | 49.00000 | 241.50000 |
| 29 | जिला उद्यान पदाधिकारी, रोहतास | 325.0000 | 92.36000 | 24.00000 | 116.36000 |
| 30 | जिला उद्यान पदाधिकारी, सहरसा | 638.0000 | 131.92000 | 42.00000 | 173.92000 |
| 31 | जिला उद्यान पदाधिकारी, समस्तीपुर | 683.9000 | 118.66799 | 8.00000 | 126.66799 |
| 32 | जिला उद्यान पदाधिकारी, सारण | 237.0000 | 67.20000 | 14.00000 | 81.20000 |
| 33 | जिला उद्यान पदाधिकारी, शेखपुरा | 144.0000 | 31.62000 | 3.00000 | 34.62000 |
| 34 | जिला उद्यान पदाधिकारी, शिवहर | 173.0000 | 42.24000 | - | 42.24000 |
| 35 | जिला उद्यान पदाधिकारी, सीतामढ़ी | 547.0000 | 94.00000 | 14.00000 | 108.00000 |
| 36 | जिला उद्यान पदाधिकारी, सीवान | 326.0000 | 88.56000 | 14.00000 | 102.56000 |
| 37 | जिला उद्यान पदाधिकारी, सुपौल | 567.0000 | 99.60000 | 14.00000 | 113.60000 |
| 38 | जिला उद्यान पदाधिकारी, वैशाली | 1,079.0000 | 234.16000 | 78.00000 | 312.16000 |
| 39 | उद्यान निदेशालय (मुख्यालय), बिहार, पटना | 1.0000 | 2,872.67000 | - | 2,872.67000 |
| **कुल** | | **17,897.9200** | **6,866.22040** | **968.00000** | **7,834.22040** |

(अभिषेक कुमार)

# अनुसूची–16

वर्ष 2026–27 के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना का जिलावार एवं श्रेणीवार वित्तीय लक्ष्य।

(वित्तीय लाख रूपये में)

| क्र० सं० | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम | वित्तीय लक्ष्य | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | सामान्य वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | कुल |
| 1 | 2 | | | | 6 |
| 1 | जिला उद्यान पदाधिकारी, अररिया | 56.95254 | 27.65157 | 2.35589 | 86.96000 |
| 2 | जिला उद्यान पदाधिकारी, अरवल | 23.30072 | 3.58834 | 1.27094 | 28.16000 |
| 3 | जिला उद्यान पदाधिकारी, औरंगाबाद | 104.40072 | 3.58834 | 1.27094 | 109.26000 |
| 4 | जिला उद्यान पदाधिकारी, बाँका | 70.86071 | 3.58834 | 1.27094 | 75.71999 |
| 5 | जिला उद्यान पदाधिकारी, बेगुसराय | 80.72374 | 38.15157 | 2.35589 | 121.23120 |
| 6 | जिला उद्यान पदाधिकारी, भागलपुर | 143.36071 | 35.08835 | 1.27094 | 179.72000 |
| 7 | जिला उद्यान पदाधिकारी, भोजपुर | 53.87911 | 3.58835 | 1.27094 | 58.73840 |
| 8 | जिला उद्यान पदाधिकारी, बक्सर | 69.63094 | 6.65157 | 2.35589 | 78.63840 |
| 9 | जिला उद्यान पदाधिकारी, दरभंगा | 77.23254 | 17.15157 | 2.35589 | 96.74000 |
| 10 | जिला उद्यान पदाधिकारी, गया | 86.76791 | 3.58835 | 1.27094 | 91.62720 |
| 11 | जिला उद्यान पदाधिकारी, गोपालगंज | 80.35254 | 27.65157 | 2.35589 | 110.36000 |
| 12 | जिला उद्यान पदाधिकारी, जमुई | 27.90071 | 3.58835 | 1.27094 | 32.76000 |
| 13 | जिला उद्यान पदाधिकारी, जहानाबाद | 44.17818 | 6.03892 | 2.13890 | 52.35600 |
| 14 | जिला उद्यान पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) | 58.97254 | 6.65157 | 2.35590 | 67.98001 |
| 15 | जिला उद्यान पदाधिकारी, कटिहार | 121.81254 | 38.15156 | 2.35590 | 162.32000 |
| 16 | जिला उद्यान पदाधिकारी, खगड़िया | 124.93254 | 38.15156 | 2.35590 | 165.44000 |

(अभिषेक कुमार)

35/45

| क्र० सं० | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम | वित्तीय लक्ष्य | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | सामान्य वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | कुल |
| 1 | 2 | | | | 6 |
| 17 | जिला उद्यान पदाधिकारी, किशनगंज | 47.36071 | 14.08834 | 1.27094 | 62.71999 |
| 18 | जिला उद्यान पदाधिकारी, लखीसराय | 63.28906 | 11.81405 | 2.32490 | 77.42801 |
| 19 | जिला उद्यान पदाधिकारी, मधेपुरा | 104.31426 | 38.06405 | 2.32490 | 144.70321 |
| 20 | जिला उद्यान पदाधिकारी, मधुबनी | 81.63106 | 27.56405 | 2.32489 | 111.52000 |
| 21 | जिला उद्यान पदाधिकारी, मुंगेर | 86.85106 | 6.56405 | 2.32489 | 95.74000 |
| 22 | जिला उद्यान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर | 116.22071 | 3.58835 | 1.27094 | 121.08000 |
| 23 | जिला उद्यान पदाधिकारी, नालंदा | 88.10289 | 9.62727 | 3.40984 | 101.14000 |
| 24 | जिला उद्यान पदाधिकारी, नवादा | 83.03031 | 7.70182 | 2.72787 | 93.46000 |
| 25 | जिला उद्यान पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण | 118.37671 | 35.08835 | 1.27094 | 154.73600 |
| 26 | जिला उद्यान पदाधिकारी, पटना | 103.81831 | 18.20182 | 2.72787 | 124.74800 |
| 27 | जिला उद्यान पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण | 153.50631 | 39.20182 | 2.72787 | 195.43600 |
| 28 | जिला उद्यान पदाधिकारी, पूर्णियाँ | 144.72771 | 44.88942 | 2.88287 | 192.50000 |
| 29 | जिला उद्यान पदाधिकारी, रोहतास | 81.33771 | 8.13942 | 2.88287 | 92.36000 |
| 30 | जिला उद्यान पदाधिकारी, सहरसा | 94.96812 | 35.52595 | 1.42593 | 131.92000 |
| 31 | जिला उद्यान पदाधिकारी, समस्तीपुर | 105.03829 | 10.06487 | 3.56483 | 118.66799 |
| 32 | जिला उद्यान पदाधिकारी, सारण | 51.24812 | 14.52595 | 1.42593 | 67.20000 |
| 33 | जिला उद्यान पदाधिकारी, शेखपुरा | 26.16812 | 4.02595 | 1.42593 | 31.62000 |
| 34 | जिला उद्यान पदाधिकारी, शिवहर | 36.78812 | 4.02595 | 1.42593 | 42.24000 |

(अभिषेक कुमार)

| | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम | वित्तीय लक्ष्य | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | सामान्य वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | कुल |
| 1 | 2 | | | | 6 |
| 35 | जिला उद्यान पदाधिकारी, सीतामढ़ी | 78.04812 | 14.52595 | 1.42593 | 94.00000 |
| 36 | जिला उद्यान पदाधिकारी, सीवान | 69.88218 | 16.53892 | 2.13890 | 88.56000 |
| 37 | जिला उद्यान पदाधिकारी, सुपौल | 83.64812 | 14.52595 | 1.42593 | 99.60000 |
| 38 | जिला उद्यान पदाधिकारी, वैशाली | 170.63762 | 60.63952 | 2.88286 | 234.16000 |
| 39 | उद्यान निदेशालय (मुख्यालय), बिहार, पटना | 2,462.05209 | 389.24072 | 21.37719 | 2,872.67000 |
| **कुल** | | **5676.30440** | **1091.04242** | **98.87358** | **6866.22040** |

(अभिषेक कुमार)

37/45